

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016-वैशाख 2, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार कटारे पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद शर्मा, निवासी-303, दुर्गापुरी कॉलोनी, करौली माता मंदिर, महलगौव, ग्वालियर शपथ करता हूँ कि मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा अंकित है और वर्तमान में मैं, दिनेश कुमार कटारे के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ और भविष्य में भी दिनेश कुमार कटारे के नाम से ही जाना-पहचाना जाऊँ. समस्त सूचित हों.

पुराना नाम :

(दिनेश कुमार शर्मा)

(27-बी.)

नया नाम :

(दिनेश कुमार कटारे)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरी 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम लखविन्दर सिंह लिखा हुआ है जो कि घर का है. वास्तव में मेरा नाम थान सिंह है, जो कि सत्य व सही है. चूंकि मैं अपना नाम लखविन्दर सिंह के स्थान पर थान सिंह कराना चाहता हूँ. अतः सूचना प्रकाशन के बाद मुझे लखविन्दर सिंह के स्थान पर थान सिंह के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(लखविन्दर सिंह)

(28-बी.)

नया नाम :

(थान सिंह)

पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह सैनी,
निवासी-भडोली का पुरा, पोस्ट-अमिल्हेडा,
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, देवमुनि गुप्ता पति स्व. श्री राजेश गुप्ता, उम्र 43 वर्ष, भट्ठा मोहल्ला, दुर्गा मंदिर, वंशस्वरूप वार्ड की स्थायी निवासी हूँ. मुझ आवेदिका का पुराना घरेलू नाम बबली गुप्ता पति स्व. राजेश गुप्ता है तथा मेरा नाम परिवर्तन होकर देवमुनि गुप्ता पति स्व. श्री राजेश गुप्ता हो गया है. मुझे अब इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है तथा मैं अपने आगामी सभी दस्तावेजों में अपना नाम देवमुनि गुप्ता लिखाना चाहती हूँ.

पुराना नाम :

(बबली गुप्ता पति स्व. राजेश गुप्ता)

(29-बी.)

नया नाम :

(देवमुनि गुप्ता पति स्व. राजेश गुप्ता)

पता-भट्ठा मोहल्ला, दुर्गा मंदिर के पास,
वंशस्वरूप वार्ड, कटनी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मुझे शादी से पहले AMARTI नाम से जाना जाता था, शादी के बाद मुझे AARTI JHARBADE नाम से जाना-पहचाना जावे।

Old Name :

(AMARTI)

New Name :

(AARTI JHARBADE)

H. No. 112, Ward No. 36, Garg Colony,
Bagdona, Betul (M.P.).

(30-B.)

CHANGE OF NAME

I, Bhoopendra Singh S/o Dev Singh, DOB 01-12-1989 declare that my name in my 10th marksheet has been wrongly entered as Bhupendra. But my correct name in my all documents is Bhoopendra Singh. Hence I should be known & called as Bhoopendra Singh.

Old Name :

(BHUPENDRA)

New Name :

(BHOOPENDRA SINGH)

Address—H. No. 960, Pratap Nagar,
Bhanpur, Bhopal (M.P.).

(31-B.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को श्री दयाल सिंह आत्मज स्व. श्री दीवान सिंह पार्टनरशिप फर्म मेसर्स, तरंग से रिटायर्ड हो गए हैं, और उसी दिनांक से ही श्री नवजोत सिंह आत्मज श्री तेजेन्द्र सिंह उक्त भागीदारी व्यवसाय में पार्टनर के रूप में सम्मिलित हो गए हैं।

मेसर्स तरंग,

राजेन्द्र सिंह,

(भागीदार).

(32-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स टयूलिप एसोसिएट, दिनांक 24-11-2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00193/10 के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 12-01-2016 के द्वारा श्री गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हरीकिशन अग्रवाल, निवासी-14, खेड़ापति कॉलोनी, ग्वालियर ने स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर हट रहे हैं। तथा इनके स्थान पर नये भागीदार के रूप में (1) श्री विजय गोयल (एच. यू. एफ.) पुत्र स्व. श्री बी. डी. गोयल, निवासी-पाटनकर चौराहा, लश्कर, ग्वालियर, (2) श्री योगेन्द्र तिवारी पुत्र श्री पारस नाथ तिवारी, निवासी-एन-21, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, (3) श्रीमती पुष्पा बघेल पत्नी डॉ. प्रवीन बघेल, निवासी-43/ए33, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर, (4) श्री आशीष कुमार सिंह बैस पुत्र श्री सतेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी-ए-2, बलवन्त नगर, ग्वालियर सम्मिलित हुये हैं। इस तरह संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 12-01-2016 द्वारा उपरोक्त फर्म में निम्नलिखित साझेदार वर्तमान में हैं—(1) श्री रविन्द्र सिंह सेंगर पुत्र श्री मंगल सिंह सेंगर, निवासी-सी-61, गोविन्दपुरी, ग्वालियर, (2) श्री धमेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र दलबीर सिंह सिकरवार, निवासी-77, शकुन्तलापुरी, ठाठीपुर, ग्वालियर, (3) श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्नालाल भारद्वाज, निवासी-28 ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, (4) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, निवासी-कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर, (5) श्री विजय गोयल (एच. यू. एफ.) पुत्र स्व. श्री बी. डी. गोयल, निवासी-पाटनकर चौराहा, लश्कर, ग्वालियर, (6) विजय विक्रम सिंह भदौरिया पुत्र श्री रामेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी-51, गोविन्दपुरी, ग्वालियर, (7) श्री अभय अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, निवासी-बल्लभ नगर, ग्वालियर, (8) श्रीमती मोहिनी गुप्ता पत्नी श्री अज्ञात गुप्ता, निवासी-लक्ष्मीबाई कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, (9) श्री योगेन्द्र तिवारी, पुत्र श्री पारस नाथ तिवारी, निवासी-एन-21, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, (10) श्रीमती पुष्पा बघेल पत्नी डॉ. प्रवीन बघेल, निवासी-43/ए33, हरीशंकरपुरम, ग्वालियर, (11) श्री आशीष कुमार सिंह बैस पुत्र श्री सतेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी-ए-2, बलवन्त नगर, ग्वालियर है तथा अब फर्म के पते में भी परिवर्तन किया गया है जोकि एफ-30, संजय कॉम्प्लेक्स, ग्वालियर न होकर फर्म का नवीन पंजीकृत पता-एन-21, सिटी सेन्टर, ग्वालियर रहेगा।

हर आम खास व्यक्ति को सूचित हो।

मेसर्स टयूलिप एसोसिएट,

महेश भारद्वाज,

एन-21, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

(33-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म यादव कंस्ट्रक्शन कं., पंजीयन क्रमांक 1449, दिनांक 24-02-1988, 591, स्नेहनगर, जबलपुर है, जिसमें वर्तमान में 4 भागीदार हैं। (1) श्री त्रिभुवन सिंह यादव पिता स्व. गुलाब सिंह यादव, पता-529/4, पश्चिमी निवाड़गंज, जबलपुर, (2) लक्ष्मीचंद यादव पिता स्व. गुलाब सिंह यादव, पता-591, स्नेहनगर, जबलपुर, (3) राजेन्द्र कुमार यादव पिता स्व. सकीरिलाल यादव, पता-161, पश्चिमी निवाड़गंज, जबलपुर, (4) श्री अवधनारायण यादव पिता श्री बेनीप्रसाद यादव पता-161, पश्चिमी निवाड़गंज, जबलपुर है।

उक्त भागीदार में भागीदार क्र. (1) श्री त्रिभुवन सिंह यादव पिता स्व. गुलाब सिंह यादव, पता 529/4 पश्चिमी निवाड़गंज, जबलपुर तथा भागीदार क्र. (4) श्री अवधनारायण यादव पिता श्री बेनीप्रसाद यादव, पता-161, पश्चिमी निवाड़गंज, जबलपुर, दिनांक 01-04-1992 को ही पृथक् हो रहे हैं तथा दिनांक 01-04-1992 को ही श्री सुनील कुमार यादव पिता श्री टी. एस. यादव, पता-519/4, पश्चिमी निवाड़गंज, जबलपुर सम्मिलित हो रहे हैं।

उक्त फर्म में दिनांक 31-03-2007 में श्री राजेन्द्र कुमार यादव पिता स्व. श्री सकीरिलाल यादव, पता-161, पश्चिमी निवाड़गंज, जबलपुर फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा दिनांक 01-04-2007 को श्री नितिन यादव पिता श्री एल. सी. यादव, पता-591, स्नेह नगर, जबलपुर सम्मिलित हो रहे हैं। यदि किसी को आपत्ति हो तो फर्म के कार्यालय में 7 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कं.,

द्वारा—नितिन यादव,

(पार्टनर)

591, स्नेहनगर, जबलपुर।

(34-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 30 मार्च, 2016

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 से 03 नवम्बर, 2015 संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति

वि. क्र. 27444/42/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2014, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014, (I) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01, दिनांक 28 जुलाई, 2015, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014, आयोजन की सूचना दिनांक 23 जुलाई, 2015. राज्य सेवा परीक्षा के कुल-576 पदों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014, मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 से 03 नवम्बर, 2015 तक आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-1734 है, इनमें महिला कुल-602, निःशक्तजन कुल-55, भूतपूर्व सैनिक कुल-02 सम्मिलित हैं। इस परीक्षा परिणाम में भूतपूर्व सैनिक कुल-43, निःशक्तजन श्रवणबाधित 20 कम पाए गए हैं। अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक आवेदक सम्मिलित हैं।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है, के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

वंदना वैद्य,

उप-सचिव।

(293)

इन्दौर, दिनांक 30 मार्च, 2016

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 से 03 नवम्बर, 2015

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014, का लिखित परीक्षा परिणाम

वि. क्र. 27444/42/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2014/24 दिसम्बर, 2014, (I) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01, दिनांक 28 जुलाई, 2015, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014, आयोजन की सूचना दिनांक 23 जुलाई, 2015. राज्य सेवा परीक्षा के कुल-576 पदों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014, मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 से 03 नवम्बर, 2015 तक आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-1734 है, इनमें महिला कुल-602, निःशक्तजन कुल-55, भूतपूर्व सैनिक कुल-02 सम्मिलित हैं। इस परीक्षा परिणाम में भूतपूर्व सैनिक कुल-43, निःशक्तजन श्रवणबाधित 20 कम पाए गए हैं। अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक आवेदक सम्मिलित हैं।

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट- www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है, के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं। अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी।

साक्षात्कार की तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी।

परीक्षा परिणाम में प्रावधिक अर्ह पाये गये 1734 आवेदकों के रोल नम्बर एवं नाम की सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICE MAIN EXAM, 2014

ROLL NO WISE LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1.	100035	HEMLATA SUNHARE	
2.	100074	RAHUL LAV ALAWA	
3.	100086	SNEHLATA CHOUHAN	
4.	100097	GAURAV DAHIYA	
5.	100114	VINAY PRATAP SINGH	
6.	100191	VIKASH VERMA	
7.	100199	PRAVEEN BANSOD	
8.	100239	NAVNEET RAIKWAR	
9.	100272	UTTAM KUMAR GUPTA	
10.	100279	NEHA CHOUHAN	
11.	100286	SAPNA RAI	
12.	100426	BHUMIKA PANDEY	
13.	100463	SHIVANI SHRIVASTAVA	
14.	100465	PRIYANKA VERMA	
15.	100504	PREETI VERMA	
16.	100520	YOGESH KUMAR UPADHYAY	
17.	100548	CHITRA PRAJAPATI	
18.	100607	PUSHPANJALI AJNARE	
19.	100627	MONIKA SINGH	
20.	100740	VANDANA DHUMKETI	
21.	100859	BHAWAR SINGH CHOUHAN	
22.	100899	NILESH RAM GOPAL PRAJAPATI	
23.	100946	PRAVEEN SHRIVAS	
24.	100995	ANKITA GUPTA	
25.	101031	VIKAS MANDLOI	
26.	101102	REENA KIRADE	
27.	101203	RUMANSHI KHARE	
28.	101219	SWATI PRAJAPATI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
29.	101267	PRIYAM MAHESHWARI	
30.	101302	SURBHI JAIN	
31.	101326	MAHENDRA CHOUHAN	
32.	101369	BHIMRAJ MANDELIYA	
33.	101384	SANJAY KAWACHE	
34.	101402	BHUPENDRA DEV PARMAR	
35.	101554	PAYAL SONI	
36.	101654	KULDEEP BARIA	
37.	101722	MANDAKINI DIXIT	
38.	101774	PANKAJ DAWAR	
39.	101909	MANOJ BAGHEL	
40.	102033	DEVNANDINI BAGHEL	
41.	102071	YASHDEEP RAWAT	
42.	102093	KETAN SAWLE	
43.	102123	SAURABH MUZALDA	
44.	102135	SONAM MALVIYA	
45.	102159	RAVI SHARMA	
46.	102170	KIRAN PAWAR	
47.	102329	JYOTI KIRADE	
48.	102377	GARIMA ALAWA	
49.	102419	DEEPASHRI GUPTA	
50.	102424	AMITA BHUJBAL	
51.	102442	NITIN MITTAL	
52.	102487	ARUN KANT PRAJAPATI	
53.	102518	DEVENDRA SINGH MEENA	
54.	102660	HEMENDRA SAHU	
55.	102693	PUSHPENDRA SINGH RAWAT	
56.	102718	DINESH MEENA	
57.	102730	SACHIN SITOLE	
58.	102772	DIPI CHOURASIYA	
59.	102780	VARSHA BHABAR	
60.	102825	RAHUL KUMAR SINGH THAKUR	
61.	102833	SUPRIYA PATHAK	
62.	102874	PAYAL BISEN	
63.	102875	NEELAM KANOJ	
64.	102990	PRAMILA SHERE	
65.	103017	RAVINDRA WASKLE	
66.	103022	VEENA GUPTA	
67.	103033	VIPIN NANDE	
68.	103109	KIRAN CHOURASIA	
69.	103574	SATEESH KUMAR RAI	
70.	103630	DIVYA PATEL	
71.	103673	REENA PARMAR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
72.	103761	MANEESH KUMAR JAIN	
73.	104072	SANJAY CHOUHAN	
74.	104121	POOJA SOLANKI	
75.	104262	JAYA MUJALDE	
76.	104282	ADARSH SONI	
77.	104286	SUNNY DAYAL PATEL	
78.	104291	JITENDRA PRASAD	
79.	104314	ROHIT SHEKHAR PATEL	
80.	104342	KAMAL SINGH BAMANIYA	
81.	104400	VIMLESH RATHORE	
82.	104437	RAMKRISHNA BAMNIYA	
83.	104462	ASHISH KUMAR TIWARI	
84.	104520	NAMITA RATHORE	
85.	104679	ADITYA KUMAR TIWARI	
86.	104749	KIRAN NINAMA	
87.	104778	SAMKIT JAIN	
88.	104897	MEENAKSHI PANDEY	
89.	104912	SANSKRITA JOSHI	
90.	104996	PIYUSH KUMAR MISHRA	
91.	105000	KALPANA YADAV	
92.	105001	MUKESH PALIWAL	
93.	105087	DEVENDRA JAIN	
94.	105107	SHAIENDRA SINGH NARWARIA	
95.	105200	MANOJ SOLANKI	
96.	105223	MAMTA PATEL	
97.	105235	MOHAMMAD YUSUF KHAN	
98.	105329	ANIRUDDHA MEENA	
99.	105349	SUNIL DAWAR	
100.	105520	KIRTI BAGHEL	
101.	105586	JAYA VASAVA	
102.	105613	SOUMYA SAMAIYA	
103.	105624	ASHISH JAIN	
104.	105667	AKANKSHA PRAJAPATI	
105.	105755	SHELENDRA BHIL	
106.	106053	ABHISHEK KUMAR	
107.	106054	RISHI KUMAR SINGHAI	
108.	106086	EKTA SONI	
109.	106090	MANOJ BAGOLE	
110.	106214	JAGDISH RANDHA	
111.	106226	AMRATA SHUKLA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
112.	106282	RANJANA BAGRI	
113.	106313	SHEELA BHADKARE	
114.	106356	AASTHA CHOURSIYA	
115.	106371	SAVITA BHAYARE	
116.	106469	PANKAJ DASONDHI	
117.	106487	MANMOHAN BAGHEL	
118.	106567	MALLIKA RAJPUROHIT	
119.	106585	SONIYA THAKUR	
120.	106690	GHANSHYAM DHANGAR	
121.	106847	RAHUL MANDLOI	
122.	106869	DEEPAK KUMAR DWIVEDI	
123.	106928	SHIVPRATAP SINGH BAGHEL	
124.	106937	VIKASH KUMAR	
125.	107024	ABHISHEK HAZARI	
126.	107049	RAJU MEDA	
127.	107203	SHALINI KANCHKAR	
128.	107239	RAVI SHARMA	
129.	107480	PRATIBHA BHALAVI	
130.	107495	SHRASTI BHADAURIA	
131.	107839	GAURI SHANKAR RAJPUT	
132.	107991	APURVA KILLEDAR	
133.	108085	VANDNA KIRADE	
134.	108161	DEWASHISH AWASTHI	
135.	108395	RAJENDRA SINGH CHOUHAN	
136.	108398	NIKHILESH RAKESHIYA	
137.	108470	PARVEEN ANSARI	
138.	108532	NANDKISHOR DEVDA	
139.	108590	ANVITI TIWARI	
140.	108687	POOJA NAMDEV	
141.	108696	ANJALI SHARMA	
142.	108725	RAVI VARMA	
143.	108887	POOJA RATHORE	
144.	108943	DEEPENDRA SINGH RAWAT	
145.	108986	RUPANSH KUMAR JAIN	
146.	109229	ASHA CHOUHAN	
147.	109270	JAYA PARMAR	
148.	109340	PUNEET GEHLOD	
149.	109391	DIVYA KHARTE	
150.	109468	SANJAY KUMAR DAWAR	
151.	109481	SUBHASH ALAWE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
152.	109519	SANJAY KUMAR	
153.	109526	LEKHRAM DARSIMA	
154.	109558	SANJAY JHOD	
155.	109609	SUPRIYA KUMAR BUTT	
156.	109623	JAYSHREE VERMA	
157.	109717	AKHILESH UMARIYA	
158.	109845	PARAG PANTHI	
159.	109968	RACHANA CHOUDHARY	
160.	110197	YOGESH CHOUHAN	
161.	110222	RISHU KUMAR SUMAN	
162.	110252	ANAND AGNIHOTRI	
163.	110367	VIKAS THAKUR	
164.	110453	KIRAN CHOUHAN	
165.	110468	SURESH SISODIYA	
166.	110478	RACHANA RAI	
167.	110506	VAISHALI SISODIYA	
168.	110549	POORVI JAIN	
169.	110572	AVINASH JATAV	
170.	110603	ANKIT SOLANKI	
171.	110647	LOKESH CHOUHAN	
172.	110650	SHRUTI TEKAM	
173.	110762	SWATI AMOL RAMTEKE	
174.	110845	NEHAA SHAH	
175.	110932	ANURAKTI SABNANI	
176.	111109	MAHENDRA PATIDAR	
177.	111213	POORNIMA CHURIHAR	
178.	111219	TRILOCHAN GAUR	
179.	111590	RATNESH KUMAR VAIDYA	
180.	111652	PAWAN BARIYA	
181.	111675	MAHIPAL SINGH KHENWAR	
182.	111708	SHISHU PAL YADAV	
183.	112011	NIRUPAMA PALIWAL	
184.	112039	SHIKHA BHALAWI	
185.	112052	SUPRIYA BISEN	
186.	112090	ARPIT MEHTA	
187.	112250	NEHA PACHISIA	
188.	112266	NITIN KUMAR CHOUDHARY	
189.	112280	ARCHANA RAWAT	
190.	112312	JEETENDRA KUMAR PATEL	
191.	112446	SAPNA KUMARI SHARMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
192.	112515	NEHA BHATIA	
193.	112528	ARVIND SINGH	
194.	112560	YASHVANT SINGH	
195.	112692	SANJAY KOUCHHA	
196.	112725	BHARTI KSHETRE	
197.	112764	KAMLESH KUMAR PATIDAR	
198.	112841	SAURABH KANASE	
199.	112940	POOJA SINGH CHAUHAN	
200.	112977	MONIKA JAMARE	
201.	113195	PRAKASH DODWE	
202.	113230	PRASHISH GAWAD	
203.	113269	AVINASH PRATAP SINGH	
204.	113298	RITU AGRAWAL	
205.	113382	SANGEETA THAKUR	
206.	113468	SURYAKANT SIRVAIYA	
207.	113508	ASHOK NAGLE	
208.	113574	HARSH KUMAR KHARE	
209.	113608	MANJULATA MALVIYA	
210.	113648	ARCHANA MAHOR	
211.	113724	AYUSHI GAMI	
212.	113826	ANSHU JAWALA	
213.	113887	PANKAJ PAVAIYA	
214.	113902	SHRAVAN KUMAR	
215.	114006	RANJANA BAGHEL	
216.	114146	SHAILESH KUMAR PANDEY	
217.	114259	KAMLESH KUMAR KANOJE	
218.	114302	PRADEEP KUMAR SHARMA	
219.	114326	ARUN KUMAR UIKEY	
220.	114631	PRIYA RAWAT	
221.	114681	SUKDEV DAWAR	
222.	114777	ABHAY SINGH	
223.	114809	PRAKASH SINGH MARAVI	
224.	114939	AKSHAY SINGH MARKAM	
225.	114954	YOGENDRA SINGH DAWAR	
226.	115006	DEEPAK DESHMUKH	
227.	115124	ROOPREKHA YADAV	
228.	115126	NIRAJ PATIDAR	
229.	115177	DURGESH VERMA	
230.	115202	MOHIT YADAV	
231.	115248	RAVIN AWASYA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
232.	115283	SACHIN BHASKARE	
233.	115298	JAYDEV DEEPANKAR	
234.	115370	VIKRAM SINGH MANDLOI	
235.	115383	SATISH KUMAR BURDE	
236.	115421	PRADEEP DAMOR	
237.	115491	ABHISHEK SINGH MEENA	
238.	115836	SAKSHI GUPTA	
239.	116001	SUNIL SINGUNE	
240.	116148	ABHILASH MERAVI	
241.	116200	RAHUL KUMAR PAAR	
242.	116448	AJAY AHIRWAL	
243.	116475	UMA DANGI	
244.	116710	JAYESH PRATAP SINGH PARMAR	
245.	116716	MANOJ SINGH	
246.	116765	SURENDRA KUMAR PATEL	
247.	116826	MARISHA SHINDE	
248.	116976	ARUN SHARMA	
249.	117037	PRADEEP MOURYA	
250.	117061	SUBHASH DHURVE	
251.	117122	RAHUL GUPTA	
252.	117131	VANDANA RAJPUT	
253.	117142	KAILASH DAMAR	
254.	117209	JIMMI BAHETI	
255.	117254	ARPIT AGARWAL	
256.	117311	PRIYANKA MIMROT	
257.	117324	RAJKISHOR SINGH GURJAR	
258.	117373	ASHISH SHUKLA	
259.	117415	LALJI MARAVI	
260.	117474	ARPIT SINGH BAGHEL	
261.	117578	KAILASH NEWARE	
262.	117604	POOJA SONI	
263.	117678	DR ANSHUMAN SINGH	
264.	117843	MANOJ KUMAR MOURYA	
265.	117850	JITENDRA SOLANKI	
266.	117978	SONAL SIDAM	
267.	118301	MANISHA YADAV	
268.	118330	GAGAN PATIDAR	
269.	118490	TARUN ANIYA	
270.	118507	VAIBHAV THAKUR	
271.	118516	ASHISH BHARADE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
272.	118562	BHARATI DEVI MISHRA	
273.	118646	NIKITA WASKALE	
274.	118698	SUNIL SISODIYA	
275.	118780	SANDEEP KUMAR NIGWAL	
276.	118813	SHAKTI YADAV	
277.	118854	ROSHANI PATIDAR	
278.	118861	RAVINDRA SINGH CHOUHAN	
279.	119077	VIKRANT BOPCHE	
280.	119144	HARSHA DHURVE	
281.	119145	LOKESH DAWAR	
282.	119169	KAMLESH BAMNIYA	
283.	119251	CHHOGALAL KIRADE	
284.	119252	SUNEEL KUMAR WARKADE	
285.	119253	REEMA ANSARI	
286.	119400	AMIT SOLANKI	
287.	119485	AMIT KUMAR SINGH	
288.	119519	KARMENDRA SAWALE	
289.	119589	KAMLESH PATIDAR	
290.	119608	PRAHLAD DODARIYA	
291.	119620	SUNITA NARGAVE	
292.	119671	ANURADHA SAKWAR	
293.	119678	MANISH CHOUDHARY	
294.	119813	DURGADAS DAHAYAT	
295.	119864	KUNAL RAUT	
296.	119971	LOKENDRA SINGH CHOUHAN	
297.	120037	AJENDRA NATH PRAJAPATI	
298.	120039	CHANDRA KUNWAR SINGH	
299.	120215	DEEPAK CHOUHAN	
300.	120359	BHUPENDRA RAWAT	
301.	120361	SWARNALATA KAJALE	
302.	120412	BHAVANA PATNE	
303.	120459	PUSHP RAJ SINGH	
304.	120498	SHAILENDRA SINGH BUNDELA	
305.	120576	DEEPTI KATROLIYA	
306.	120771	MUKESH KUMAR PATLE	
307.	120783	BHARTI DANGI	
308.	120883	NIRUPMA SHAH	
309.	120899	PRAKASH MEENA	
310.	121014	KULDEEP SINGH THAKUR	
311.	121015	PREETI SHUKLA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
312.	121098	VEERENDRA RAIKWAR	
313.	121099	RAVINDRA KUMAR IKWALE	
314.	121197	DINESH KUMAR CHANDEL	
315.	121248	SANJAY RATHORE	
316.	121406	SHAILESH KUMAR THAKUR	
317.	121718	AKANKSHA SINGH	
318.	121719	SAPNA CHOUHAN	
319.	121754	ASHISH KUMAR PATEL	
320.	121765	SHOBHANA THAKUR	
321.	121897	RATNESH SHARMA	
322.	121898	PULKIT KHANDELWAL	
323.	122060	HARENDRA SINGH	
324.	122155	SHAKTI SINGH CHOUHAN	
325.	122191	PRAKASH RANGSHAHI	
326.	122439	RAM PRAVESH TIWARY	
327.	122546	ANKIT JAMOD	
328.	122562	SHASHANK AGRAWAL	
329.	122578	KAMLESH KUMAR CHAUDHARY	
330.	122645	SHIV SHANKAR SHUKLA	
331.	122651	PRAVEEN OHARIYA	
332.	122802	SANDEEP IVANE	
333.	122808	PREM Shankar PARMAR	
334.	122894	POOJA ASATI	
335.	122929	NARENDRA SINGH DHURVE	
336.	123021	PANKAJ LAHOTI	
337.	123169	DURGA BAMNIYA	
338.	123175	ALOK PANDEY	
339.	123277	SWATI JAIN	
340.	123365	SONU PARMAR	
341.	123407	SAHADEV MOURE	
342.	123421	KHUSHWANT DAMAR	
343.	123445	PRAVIN KUMAR	
344.	123492	ROHIT PARMAR	
345.	123532	SURENDRA KUMAR AHIRWAR	
346.	123599	JITENDRA ALAWA	
347.	123607	MEENA JHA	
348.	123791	SANTUSHTI PAL	
349.	123842	JAGAR RAWAT	
350.	123864	SONAM RAWAT	
351.	123899	MANOJ CHOUHAN	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
352.	123953	SANJAY JAT	
353.	123975	ROHIT DAWAR	
354.	123980	RITESH TANDIYA	
355.	124088	AKSHAY CHOUDHARY	
356.	124098	KAVITA SHRIVAS	
357.	124236	YASHPAL SINGH NARVARIA	
358.	124299	POORTI TIWARI	
359.	124353	ANKIT CHOUHAN	
360.	124410	ASHWINI RANPISE	
361.	124488	VIJENDRA SINGH MUZALDA	
362.	124505	AMARDAS SENANI	
363.	124506	MONIKA JHARIYA	
364.	124539	AKSHAY VISHWAKARMA	
365.	124597	ABHIYANK CHOUDHARY	
366.	124648	JOSHUA PETER	
367.	124734	MAHENDRA SINGH TADWAL	
368.	124741	SAURABH MISHRA	
369.	124774	LATA CHOUHAN	
370.	124785	SANDHYA SARYAM	
371.	125038	MUKESH PANWAR	
372.	125040	SHABANA PARVEEN	
373.	125047	AJAY CHOUHAN	
374.	125088	MEENAKSHI JAISWAL	
375.	125130	DIWAKAR MISHRA	
376.	125186	JITENDRA KUMAR PATEL	
377.	125216	RAKESH BHURIYA	
378.	125252	AMRITA CHOUHAN	
379.	125276	AKLESH SOLANKI	
380.	125509	RAGHU KESHARI	
381.	125561	ANKITA JAIN	
382.	125613	DEVENDRA KUMAR WERVA	
383.	125632	NAMAN UPADHYAYA	
384.	125648	AJEET SINGH KRISHNACHANDRA SINGH RATHORE	
385.	125737	SONU DAWAR	
386.	125746	DEEPTI CHAUDHARY	
387.	125821	BABULAL MANSURYA	
388.	125951	VIJAY DARBAR	
389.	125957	PARUL SHARMA	
390.	126075	MOOLCHAND LODHI	
391.	126086	NILESH DAMOR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
392.	126163	BRAJKISHOR CHOUHAN	
393.	126219	PRATISHTHA RATHORE	
394.	126271	SIDDHANT SINGH SINGLA	
395.	126407	ANIMESH JAIN	
396.	126925	ADITYA KUMAR TIWARI	
397.	126962	ABHISHEK PANDEY	
398.	127044	BRIJ DAS MEENA	
399.	127217	SOURAV TIWARI	
400.	127246	MAYANK KUMAR JAIN	
401.	127461	SHIVANI MISHRA	
402.	127531	PRIYA VERMA	
403.	127634	ASHUTOSH DWIVEDI	
404.	127667	VIVEK NAGWANSHI	
405.	127708	DHAMMADEEP BHAGAT	
406.	127737	CHETAN VAID	
407.	127842	NITIN KUMAR WAGMODE	
408.	127923	RAHUL PATEL	
409.	127934	SAUDAMINI SHIVHARE	
410.	128079	PARMILA THAKUR	
411.	128117	PRASANNA CHAKRAVARTI	
412.	128182	SAPNA YADAV	
413.	128248	SANTOSH KUMAR MISHRA	
414.	128261	RAMLAL PAGARE	
415.	128295	GAUREE MEHRA	
416.	128309	DHIRAJ KUMAR GOME	
417.	128334	SANDEEP BHILALA	
418.	128463	NANDLAL GAMAD	
419.	128467	RAVINDRA DEWADA	
420.	128494	RAHUL SANKATE	
421.	128504	KAMAL KUMAR SEHARE	
422.	128522	RAMBHAROSH CHOURE	
423.	128582	LAVINA GHAGRE	
424.	128637	POONAM PRAJAPATI	
425.	128649	RAJENDRA SINGH	
426.	128678	SHAIFALI JAIN	
427.	128696	JAYSHRI CHAUHAN	
428.	128705	KRISHNA KUMAR NINAMA	
429.	128725	SACHIN KUMAR AHIRWAR	
430.	128777	AARTI KUSMARIYA	
431.	128824	VIKAS RAGHUWANSHI	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
432.	128878	YOGESH KUMAR YADAV	
433.	128892	AKHLESH KUMAR UPADHAYAY	
434.	128904	KIRTI CHOUHAN	
435.	128942	NITIN GUPTA	
436.	128971	PUSHPENDRA THAKUR	
437.	129219	MOTILAL KUSHWAHA	
438.	129239	OMPRAKASH PATIDAR	
439.	129250	ABHINAV MISHRA	
440.	129277	RAMSEVAK MEENA	
441.	129343	SOURABH MARAVI	
442.	129397	AADARSH SINGH DAWAR	
443.	129420	MANISH BHAWAR	
444.	129457	NEELAM BAGHEL	
445.	129468	VIVEK KUMAR SONI	
446.	129483	RASHMI DHURVE	
447.	129650	KIRAN AHIRWAR	
448.	129751	GOKUL PRASAD DANGI	
449.	129790	SATENDRA SINGH GURJAR	
450.	129902	DEEPAK MANJHY	
451.	130065	JEEVAN KUMAR DETHALIYA	
452.	130205	ROSHNI DAWAR	
453.	130240	RAJESH RATHORE	
454.	130471	REKHA PANCHAL	
455.	130520	RAVINDRA BILWAL	
456.	130577	APARNA GUPTA	
457.	130585	HITESH BANDIYA	
458.	130630	VISHAL KUMAR YADAV	
459.	130993	SANDEEP MALVIYA	
460.	131338	HEMLATA BILWAL	
461.	131424	ABHA KAUSHAL	
462.	131684	RAVINDRA SINGH RATHI	
463.	131907	NAMRATA JADON	
464.	132273	TEENA PANWAR	
465.	132378	RAM KUMAR SHARMA	
466.	132408	LAXMI PARMAR	
467.	132553	KRATIKA MOHTA	
468.	132582	MANISH PANDEY	
469.	132727	GAURAV BENAL	
470.	132835	ANANDILAL DALODIA	
471.	133001	PRASHANT RATHORE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
472.	133282	AADITYA RAJ CHAUHAN	
473.	133486	DURGESH NANDINI SHARMA	
474.	133541	SURENDRA DINDOR	
475.	133684	ROHAN MAJHI	
476.	133814	SANDEEP KUMAR DAWAR	
477.	134105	VIVEK PATIDAR	
478.	134239	AAKANSHA BECHHOTE	
479.	134257	PARIDHI GOYAL	
480.	134313	PRAVIN ARYA	
481.	134703	ANURAG TIWARI	
482.	134771	PARAS VAISH	
483.	134929	ISHWAR LAL CHOUHAN	
484.	134965	BHANUPRATAP SINGH RANA	
485.	134968	RAHUL CHOUDHARY	
486.	135048	YOGESH JATWA	
487.	135356	REENA KUMARIYA	
488.	135414	OM PRAKASH PARMAR	
489.	135430	GAURAV YADAV	
490.	135594	KUNAL KHERADIYA	
491.	135902	PRASHANT BHADORIA	
492.	136268	CHANDRA SHEKHAR VYAS	
493.	136357	PADMAKAR TELANG	
494.	136472	AUGNEESH GOYAL	
495.	137071	UTTAM KUMAR DWIVEDI	
496.	137259	ANUPAM DUBEY	
497.	137629	PRABHAT KUMAR PATTI	
498.	137721	VIKRAM NANDANWAR	
499.	138428	PRAKHAR SINGH	
500.	138564	SHIVAM PANDEY	
501.	138596	GUNJA PARASTE	
502.	139194	SHAILLY SAIYAM	
503.	139468	LAXMI VERMA	
504.	139485	SATYA PRAKASH SHUKLA	
505.	139644	BHRANTI SAIYAM	
506.	139856	AMIT VERMA	
507.	140289	DAMINI SINGH	
508.	140743	SHRIRAM JAMRA	
509.	141081	KUMAR ABHINAV	
510.	141196	KAMAL SINGH CHOUHAN	
511.	141490	KANCHAN WASKALE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
512.	142007	FIRDOSH SHAH	
513.	142129	MANEESH KUMAR SOLANKI	
514.	142230	POOJA MALAKAR	
515.	142294	AMIT KUMAR NIM	
516.	142374	CHANCHAL THAKRE	
517.	142655	SURESH BAROLE	
518.	143039	RANU RATHOD	
519.	143222	ANKITA SULTYA	
520.	143236	ANTIM KUMAR JAISWAL	
521.	143359	AARTI JOGE	
522.	143433	ANKUR GUPTA	
523.	144084	MANSINGH KANNOJE	
524.	144124	AATMARAM SOLANKI	
525.	144173	HARJEET THAKUR	
526.	144392	SATISH SOLANKI	
527.	144513	RAMPAL SINGH KARJARE	
528.	144913	LOKENDRA GUPTA	
529.	144994	DEEPAK BADOLE	
530.	145492	VIJENDRA BHALEKAR	
531.	145498	ARCHANA GUPTA	
532.	145818	ARCHANA PARIHAR	
533.	145879	ARCHANA DINKAR	
534.	145946	PAVAN KUMAR GUPTA	
535.	146060	RANJEET SINGH RANA	
536.	146283	DEEPALI CHANDORIYA	
537.	146431	BRAJESH KUMAR DOHARE	
538.	146488	HARIOM SONI	
539.	146589	TEERTHRAJ BHARDWAJ	
540.	146594	ANAMIKA SAXENA	
541.	146604	SUNIL SEMAR	
542.	146612	PANKAJ YADAV	
543.	146650	MOHIT KUMAR YADAV	
544.	146688	DEEPENDRA SINGH YADAV	
545.	146756	VIVEK RANA	
546.	146794	SAURABH AHIRWAR	
547.	146935	VIKASH GUPTA	
548.	146971	RANU SHRIVASTAVA	
549.	147171	DEEPAM KAUSHAL	
550.	147228	ARTEE YADAV	
551.	147330	VIVEK PRAKASH PATSARIA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
552.	147407	AJAY PRATAP SINGH	
553.	147435	PRADEEP SINGH	
554.	147447	ROHIT PACHAURI	
555.	147616	ARVIND SINGH MAHOR	
556.	147623	RASHMI MEHKALI	
557.	147636	VIJAY PRAKASH TIWARI	
558.	147685	KARAN SINGH	
559.	147775	VARSHA PARIHAR	
560.	147797	KRISHNA KUMAR PANDEY	
561.	147940	HIMANI YADAV	
562.	148009	VANDNA RAWAT	
563.	148052	DHEERAJ SWARNKAR	
564.	148060	NISHI GAUTAM	
565.	148092	VINAY KUMAR DAVE	
566.	148199	SHOBHIT SHRIVASTAVA	
567.	148265	ALOK PRATAP SINGH ITORIYA	
568.	148407	RUSHALI PORAS	
569.	148481	PRAVEEN WADBUDE	
570.	148603	ANEHI MUNDRA	
571.	148604	AJAY KUMAR RITHORIYA	
572.	148924	JANKI RAMAN SINGHAL	
573.	149228	RAVI RAMAN PARASHAR	
574.	149347	NAGENDRA SINGH SIKARWAR	
575.	149643	BRAJENDRA SANSIYA	
576.	150187	SHIVRANJAN SINGH	
577.	150358	GAURISHANKAR RAWAT	
578.	150608	RAVI SINGH	
579.	150645	GAURAV KHARE	
580.	151190	SWATI PATHAK	
581.	151418	SUNIL DUTT	
582.	151571	DHARAM SINGH	
583.	151720	RAHUL SHARMA	
584.	151869	MINI AGARWAL	
585.	151944	PAWAN KUMAR SHRIVASTAVA	
586.	152307	SHAILENDRA GOSWAMI	
587.	152395	ARJUN SINGH YADAV	
588.	152457	KUMAR RAJIV RANJAN	
589.	152458	NEERAJ KUMAR SHARMA	
590.	152619	ANURADHA SHARMA	
591.	152982	SACHIN JAIN	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
592.	153010	GAJENDRA SINGH BATHAM	
593.	153112	ASHISH BHARDWAJ	
594.	153354	SONU INDORIYA	
595.	153482	ANKIT JAISWAL	
596.	154003	ASHUTOSH DINKAR	
597.	154176	PUSHPENDRA VYAS	
598.	154223	VIKAS MATHE	
599.	154508	VIMIT KUMAR GUPTA	
600.	154604	AJAY PRAKASH MISHRA	
601.	154696	UTKARSH MISHRA	
602.	154893	KEERTI SINGH NARWARIYA	
603.	154922	KULDEEP SHARMA	
604.	155161	RANJEET SINGH	
605.	155243	AKASH AGRAWAL	
606.	155264	VIJAY KUMAR PANDORIYA	
607.	155354	ANJU KAURAV	
608.	155651	SANGH PRIY SAMRAT	
609.	155890	VIVEK KUMAR SHUKLA	
610.	155932	APOORVA CHAUDHARY	
611.	155955	HIMALI SONI	
612.	156097	SUMAN SAURAV	
613.	156180	GIRRAJ SHARMA	
614.	156201	KULDEEP SARKAR	
615.	156345	AMIT RAHEJA	
616.	156425	KIRAN KHARE	
617.	156439	SHIVA BHADAURIA	
618.	156490	MANISHA SHARMA	
619.	156668	RAKESH KUMAR	
620.	156757	RAJNISH KASHYAP KOL	
621.	156791	HARISH KESHARWANI	
622.	157045	PAWAN SINGH	
623.	157162	SUMINT SINGH TRIVEDIA	
624.	157327	VINOD VIJOLIYA	
625.	157508	RAMNIWAS DHAKAD	
626.	157658	RAJARAM DHAKED	
627.	157907	AMIT DUBEY	
628.	157912	ATUL SHARMA	
629.	157914	MEENU MAGRAIYA	
630.	158134	SAKSHI BAJPAI	
631.	158137	MAMTA SHARMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
632.	158352	AAOMHARI TIWARI	
633.	158686	SANGHMITRA GAUTAM	
634.	158793	ANOOP PACHAURI	
635.	158998	BHEEM RAO ANAND	
636.	159062	SANDEEP SINGH	
637.	159606	BHARTENDRA PRATAP SINGH	
638.	159667	PREM NANDAN SINGH	
639.	159888	JYOTI YADAV	
640.	159979	AMIT PANDEY	
641.	160065	VIVEK RATHEE	
642.	160343	SANGITA DEVI YADAV	
643.	160805	RUCHI AGRAWAL	
644.	161172	SHREYA DIXIT	
645.	161181	RISHABH BISARIA	
646.	161430	KRISHAN KUMAR GOSWAMI	
647.	161845	SAPNA TIWARI	
648.	161873	AJEET YADAV	
649.	161974	HEMANT SHARMA	
650.	162039	PRABHANSHU KUMAR SINGH	
651.	162129	DEEPIKA GARG	
652.	162158	VIPIN PUSHPENDRA PRATAP SINGH	
653.	162241	HIMANSHU TIWARI	
654.	162271	NARENDRA KUMAR PRAJAPATI	
655.✓	162396	SANJEEV KUMAR	✓
656.	162424	SHYAM SHARMA	
657.	162516	PRAMOD SHAKYA	
658.	163002	VIRENDRA SINGH KAURAV	
659.	163094	TARUNA SHIVHARE	
660.	163096	NIRAJ VERMA	
661.	163136	RAJEEV SINGH PAWAIYA	
662.	163216	SHAIENDRA KUMAR CHAUKSEY	
663.	163220	ANAND SHRIVASTAVA	
664.	163656	ABHISHEK TRIVEDI	
665.	163894	DEEPA SHARMA	
666.	163941	PRAKASH KUMAR	
667.	164009	DEVENDRA KUMAR VYAS	
668.	164085	RAJESH KUMAR DHAKED	
669.	164205	RAJESH KUMAR GUPTA	
670.	164236	JABAR SINGH PARMAR	
671.	164542	ANAND BIHARI MISHRA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
672.	164778	DEEPA DODWE	
673.	164827	AJAY KUMAR PANDORIYA	
674.	164838	HEMANT NAGAR	
675.	165159	DEVENDRA SHARMA	
676.	165161	VINAY KUMAR THAGELE	
677.	165266	ABHISHEK KUMAR AWASTHI	
678.	165378	VISHNU SONI	
679.	165613	GIRIRAJ DUBEY	
680.	165813	SHAIENDRA SOLANKI	
681.	165817	SHREELEKHA SHROTRIYA	
682.	165820	PUNNU SINGH PARASTEY	
683.	166000	AKHILESH SINGH NARWARIA	
684.	166199	AMIT DHANDA	
685.	166627	YOGENDRA SINGH	
686.	166810	SAPNA MITTAL	
687.	166827	ANKIT MANDIL	
688.	166995	RASHMI RAJAVAT	
689.	167097	REKHA KUSHWAH	
690.	167180	SUMAN CHACK	
691.	167231	AJAY SINGH NARWARIA	
692.	167243	SONAM DADORE	
693.	167438	DR ADITYA KU. TIWARI	
694.	167493	JITENDRA PATEL	
695.	167554	LOVEKESH PARASHAR	
696.	167625	DEEPAK ARYA	
697.	167663	ASHWANI KUMAR SINGH	
698.	167687	ASHISH TIWARI	
699.	167701	VIKAS KUMAR SONI	
700.	167749	SWAPNA SHRIVASTAVA	
701.	167889	SHAIENDRA ADIWASI	
702.	167954	ANIL PANDEY	
703.	167999	AGAM JAIN	
704.	168204	AJAY KUMAR OJHA	
705.	168259	SUGANDHA JAIN	
706.	168313	DILIP KUMAR	
707.	168377	YASHODHARA RAJE	
708.	168550	SWETA TRIPATHI	
709.	168644	VIKAS MAJHI	
710.	168680	NANDINI MEENA	
711.	168872	VIKAS KUMAR SINGH	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
712.	169037	SURENDRA BARELIA	
713.	169149	ANKUR RAVI GUPTA	
714.	169172	ARVIND MANDELIYA	
715.	169388	PUSHPENDRA SINGH AHIRWAR	
716.	169893	VIKAS DUTT SHARMA	
717.	170049	RAVISHANKAR YADAV	
718.	170061	AVINASH TRIPATHI	
719.	170087	ASHUTOSH KHARE	
720.	170433	SHIPRA UPADHYAY	
721.	170606	SHAILENDRA SINGH	
722.	170828	PRAVEEN KUMAR PRAJAPATI	
723.	170878	NEELESY YADAV	
724.	170943	PARITOSH KUMAR SHILPKAR	
725.	170947	SAURABH TIWARI	
726.	171097	SHASHANK SHRIVASTAVA	
727.	171175	NIDHI YADAV	
728.	171200	OM PRAKASH SINGH	
729.	171233	BRAHM KUMAR RAJORIYA	
730.	171306	ARIF KHAN	
731.	171340	YOGESH CHOUREY	
732.	171484	PRIYANKA SHARMA	
733.	171502	VIJAY SINGH RAMAN	
734.	171588	NANDAN RAIKWAR	
735.	171649	SHAILJA MISHRA	
736.	171714	MUKESH SINGH RAWAT	
737.	171750	SUMIT KUMAR JAIN	
738.	171869	KRISHNA KANT PUROHIT	
739.	171927	VIJAY KUMAR	
740.	172038	NISHANT PATHAK	
741.	172118	RAMAN KUMAR	
742.	172126	AMANPREET SINGH SINGH	
743.	172284	RAGHVENDRA SINGH JAT	
744.	172445	RAJ KUMAR RAI	
745.	172580	VANDANA JAIN	
746.	172646	BHAVANA SINGH	
747.	172796	KANIKA NAROOOLA	
748.	172821	ANKUR RATHI	
749.	172828	MUKUL NIRMAL	
750.	172842	MONIKA CHAUHAN	
751.	173276	RAHUL GUPTA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
752.	173441	MOHAMMAD ANISH KHAN	
753.	173633	HIMANSHU AGARWAL	
754.	173717	SONU KUMAR RAI	
755.	173770	PREMLATA SHAKYAWAR	
756.	174254	UTKRISHT TRIPATHI	
757.	174728	SHRINDRA NARAYAN	
758.	174754	KRISHNA PAL SINGH	
759.	174773	ASHUTOSH SHRIVASTAVA	
760.	175100	SHARIB KAUSAR	
761.	175332	DEEPANSHU KHURANA	
762.	175690	GANESH KUMAR	
763.	176020	GAGAN BAJPAYEE	
764.	176450	ABHISHEK CHATURVEDI	
765.	176495	SURENDRA KUMAR VIMAL	
766.	176940	KUSHDITHYA SINGH GIRNAR	
767.	177170	SURESH JADAV	
768.	177249	GOPAL SINGH DHAKAD	
769.	177686	SANJAY KUMAR MEENA	
770.	177796	PRADEEP KUMAR BHARGAVA	
771.	177931	PRIYANKA BUNKAR	
772.	178013	MAHESH SHIVHARE	
773.	178079	BRIJBIHARI LAL SHRIVASTAVA	
774.	178402	ROHIT RAGHUWANSHI	
775.	178511	NARENDRA DHAKAD	
776.	178619	RAJEEV KUMAR JAIN	
777.	178709	NAVITA SHIVHARE	
778.	178972	ARJUN SINGH SOLANKI	
779.	179397	RAVINDRA KUMAR SURYAVANSHI	
780.	179448	ASHUTOSH GOSWAMI	
781.	179546	ANIL KUMAR CHOUDHARY	
782.	180603	PRIYANKA RANI CHAURASIA	
783.	180885	PAWAN PRAJAPATI	
784.	181269	RAM MOHAN AHIRWAR	
785.	181320	SHIBALI CHATURVEDI	
786.	181379	JITENDRA KUMAR SHARMA	
787.	182090	JYOTI SHRIVASTAVA	
788.	182122	KSHITIJ SONI	
789.	182154	VINDHYA YADAV	
790.	182241	SANDEEP YADAV	
791.	182394	DURGA PRASAD VISHWAKARMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
792.	182418	SATYA PRAKASH SHUKLA	
793.	182438	SHALU GANGELE	
794.	182636	UDAL SINGH THAKUR	
795.	182646	ROHIT SHUKLA	
796.	182710	AMIT SINGH BHAMAROLIYA	
797.	182877	SUYANKA CHAURASIYA	
798.	182990	MADHUR MISHRA	
799.	183083	SHAILESH KUMAR	
800.	183292	GAURAV GUPTA	
801.	183389	SUDHEER MOHAN AGRAWAL	
802.	183949	VINOD KUMAR MERAVI	
803.	183975	AKHILESH SARYAM	
804.	184112	PEEYUSH BOPCHE	
805.	184164	LEENA UIKEY	
806.	184305	DR. MONIKA PATLE	
807.	184692	CHANCHLESH MARKAM	
808.	184840	HEMESHWARI PATLE	
809.	184857	RAJESH VATTI	
810.	185011	HIRENDRA UIEKEY	
811.	185117	NEHA ARYA	
812.	185149	PRAMOD KUMAR SONI	
813.	185516	PRIYA DEHARIYA	
814.	185860	PIYUSH KUMAR SINGH	
815.	185926	MANOJ KUMAR DHURVE	
816.	185957	CHETNA PATIL	
817.	186162	KALPANA PAHADE	
818.	186395	MANISH SHENDE	
819.	186404	BANDU SURYAWANSHI	
820.	186711	RACHITA RAGHUWANSHI	
821.	187110	MAYANK RAI	
822.	187548	VARSHA SINGH	
823.	187663	PREETI DEHARIYA	
824.	187667	MEENAKSHI MADHUSUDAN DAHRE	
825.	188175	VINOD SHANKAR YADAV	
826.	188961	HARSHIT UIKEY	
827.	189420	SUCHITA EKKA	
828.	189496	RAGHUVAR SHAH UIKEY	
829.	189687	PUSHPENDRA AHAKEY	
830.	190631	PRAMOD GUNWAN	
831.	191466	VISHAL SHRIVAS	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
832.	191510	PREETI RANI CHOURASIA	
833.	192142	AMIT CHOUBEY	
834.	192200	SONU KUMAR	
835.	192249	NEETI SONWAY	
836.	192293	POOJA PANDEY	
837.	192352	PAAWAN RAI	
838.	192365	NAVEEN NAGWANSHI	
839.	192441	SONAL KHARE	
840.	192457	RENU THAKRE	
841.	192479	SHEKHAR DUBEY	
842.	192620	POONAM BARA	
843.	192755	JIGYASA SAHU	
844.	192832	SUSHILA ATHYA	
845.	192880	SATISH HALVA	
846.	192939	SHAILJA PATWA	
847.	192953	NISHA JAIN	
848.	193064	GOPAL PRASAD MAHOBIYA	
849.	193158	ANUBHA CHOUDHARY	
850.	193211	SURENDRA KUMAR SAHU	
851.	193230	PUSHPLATA KHARE	
852.	193285	ANURAG SINGH MARAVI	
853.	193365	SAUMYA SHARMA	
854.	193598	APOORV BHALAVI	
855.	193626	PRATIBHA RAI	
856.	193762	RANU SHIVHARE	
857.	194024	RITU KATARHA	
858.	194050	RAHUL WASNIK	
859.	194115	VINITA YADAV	
860.	194175	ROHIT NEMA	
861.	194197	ANKITA PRAJAPATI	
862.	194222	RICHA JAIN	
863.	194282	AKANSHA TALYA	
864.	194313	JAYSHRI JHARIYA	
865.	194345	POOJA SHARMA	
866.	194372	POOJA BUNKAR	
867.	194450	KAMLA KUSHWAHA	
868.	194504	PRATIGYA GUPTA	
869.	194660	PREETI GATHRE	
870.	194667	RACHIYATA AWASTHY	
871.	194703	SUNIL KUMAR YADAV	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
872.	194719	DHANESHWARI SONKER	
873.	194853	ABHISHEK KUMAR VAJPAYEE	
874.	194869	ARJUN KUMAR BELWANSHI	
875.	195000	SUMAN DWIVEDI	
876.	195063	RAKESH UIKEY	
877.	195098	FIRDOUS AKHTAR RAYEEN	
878.	195109	CHANDRAKANT SAHU	
879.	195222	DIGAMBER PRASAD DASHARIYE	
880.	195335	PRAPHULL KUMAR SINGH	
881.	195433	SUSHMA VISHWAKARMA	
882.	195438	VARSHA JHARIYA	
883.	195474	DIVYA RAI	
884.	195511	HARSH KUMAR JAIN	
885.	196120	MADHUVAN SINGH SANDYA	
886.	196126	DEVENDRA KUMAR MARKAM	
887.	196243	SHARAD KUMAR MARAVI	
888.	196291	URMILA LAL	
889.	196540	RAGINI MARKO	
890.	196783	DEEPSHIKHA VISHWAKARMA	
891.	197358	PANKAJ SINGH PATEL	
892.	197379	KAMLESH CHAWLE	
893.	197421	ANAMIKA JAIN	
894.	198061	DEEKSHA JAIN	
895.	198109	SAVITA GADHWAL	
896.	198255	FARHEEN KHAN	
897.	198455	VIVEK KUMAR PARASTE	
898.	198547	NEELESH TIWARI	
899.	198597	SANCHITA SUKHATME	
900.	198805	NEERAJ HINDI NAMDEO	
901.	198907	PAWAN KUMAR BAGHEL	
902.	199019	NIDHI SINGH GOHAL	
903.	199137	SONI LAL GOND	
904.	199343	SHASHI KAPOOR GADPALE	
905.	199610	VIJAY LAXMI MARAVI	
906.	199842	ANJANA TRIPATHI	
907.	199976	NISHI KANT JAIN	
908.	200207	SAMEENA KHAN	
909.	200248	BHOOPENDRA SINGH PANDRO	
910.	200376	RAMBHAROS SINGH	
911.	200674	PANKAJ SAHU	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
912.	200946	ROHINI THAKUR	
913.	201045	PRASHANT KUMAR GONTIA	
914.	201088	ADITI CHATURVEDI	
915.	201161	RUCHI YADAV	
916.	201433	DEEPSHIKHA BHAGAT	
917.	201511	SAMPADA SARAF	
918.	201582	RAMESH KUMAR PARASTE	
919.	201822	RAVINDRA KUMAR PATLIYA	
920.	201995	DURGESH PATEL	
921.	202369	VINAY KUMAR TRIPATHI	
922.	202532	SHILPA MALEWAR	
923.	202576	AKANKSHA PARASTE	
924.	202640	ABHAS KUMAR YADAV	
925.	202643	DEEPSHIKHA KHARE	
926.	202751	JYOTI YADAV	
927.	202810	KALPANA PATEL	
928.	202861	PRIYESH KUMAR AGRAWAL	
929.	203022	INDRASEN TUMRALI	
930.	203142	DEEPTI YADAV	
931.	203311	PANKAJ BHATT	
932.	203932	SIDDHARTH PATEL	
933.	204243	VANSHREE KURVETI	
934.	204671	AAKANKSHA MARAVI	
935.	204899	DHIRENDRA SINGH BAGRI	
936.	204952	KIRAN RAHANGDALE	
937.	204959	REKHA KULASTE	
938.	204979	VISHAL SINGH	
939.	205065	RINI GUPTA	
940.	205109	POOJA THAKUR	
941.	205116	NIDHI CHOUDHARY	
942.	205635	SANTOSH KUMAR PATEL	
943.	205713	VARSHA CHADDHA	
944.	205740	DEEP SHIKHA CHOUHAN	
945.	205744	MANISH SONKAR	
946.	205879	NITIN SHRIVAS	
947.	205889	AMIT SINGH THAKUR	
948.	205971	ROHIT JAIN	
949.	206391	SANGEETA MARAVEE	
950.	206450	SANJANA CHOUKSEY	
951.	206498	SHIVANI BIRIYA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
952.	206651	KUMARI DEEPAK VISHWAKARMA	
953.	206900	AMITA JAIN	
954.	206912	VIBHA MARKAM	
955.	207207	ROHIT SONI	
956.	207558	SEEMA PATEL	
957.	207585	VANDNA SINHA	
958.	207727	SHAILESH GUPTA	
959.	207934	DEVENDRA SINGH DHURWEY	
960.	208334	SAWAN SAHU	
961.	208794	SHWETA BISEN	
962.	208935	KUSH BOHRE	
963.	208980	DIVYA GUPTA	
964.	209022	AMIT KUMAR TANTWAY	
965.	209244	SHIVALIKA WADIWA	
966.	209290	SATISH KUMAR SAHU	
967.	209291	SHRISTI PANDEY	
968.	209355	JITENDRA KUMAR SHARMA	
969.	209582	SHAILENDRA WASNIK	
970.	209613	KESHAV KUMAR DHURWEY	
971.	209914	VISHAL UIKEY	
972.	210034	PUSHPENDRA PANDRE	
973.	210105	PARVATI SINGH	
974.	210441	ASHVANEE KUMAR	
975.	210457	DEEPA LI BHOJAK	
976.	210521	SHRADDHA SONI	
977.	210645	SAKET JAIN	
978.	210953	SARIKA RAWAT	
979.	211077	HIMANSHU BHALAVI	
980.	211215	RAJEEV PATHAK	
981.	211398	RAJESH KUMAR WARKADE	
982.	211421	AKASH JAIN	
983.	212211	JYOTI BHABOR	
984.	212227	NIKITA SINGH	
985.	212256	ABHISHEK BILWAL	
986.	212331	LEENA PARMAR	
987.	212363	KULBHOOSHAN SHARMA	
988.	212383	LORAINS BHURIYA	
989.	212384	BALVANT SINGH NALWAYA	
990.	212657	KRATI JADHAVA	
991.	212672	VANDANA VERMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
992.	212727	GANGVA PARMAR	
993.	212759	RUPALI JAIN	
994.	212772	RAKESH PARMAR	
995.	212779	MUKESH MACHAR	
996.	212793	AVINASH BHURIYA	
997.	212799	SOHAN SINGH CHOPRA	
998.	212935	MANOJ GARWAL	
999.	213645	MAMTA KANESH	
1000.	213808	RADHA DAWAR	
1001.	213844	PUSHPENDRA SINGH MAIDA	
1002.	213907	NILESH PARMAR	
1003.	214016	PINKI DAWAR	
1004.	214219	ARPIT KUMAR GUPTA	
1005.	214480	HARSHWARDHAN PATIDAR	
1006.	214516	KANKA BAMNIYA	
1007.	214572	LALITA GADARIYA	
1008.	214728	NAZMA NIZAMI	
1009.	214895	ARVIND KUMAR PRAJAPATI	
1010.	215059	NAMRATA SONDHIYA	
1011.	215166	VIKRAM JAIN	
1012.	215282	PRIYANKA KHARE	
1013.	215846	AMRATA JAIN	
1014.	215856	SUKANT JAIN	
1015.	216013	ADITYA KUMAR JAIN	
1016.	216130	AKSHAY UPADHYAY	
1017.	216211	DIPIKA JAIN	
1018.	216530	RAJ KUMAR SAHU	
1019.	216813	CHANDRA PRAKASH TRIVEDI	
1020.	216871	SHIVANGI KHARE	
1021.	216879	VISHRAM SINGH BAGHEL	
1022.	217115	NISHANT KUMAR SHRIVASTAVA	
1023.	217610	AMARNATH AHIRWAR	
1024.	217614	NANDA CHAUKSEY	
1025.	217690	DIVYANAND NIRANJAN	
1026.	218045	ABHIMANYU SETH	
1027.	218179	SANGHMITRA BAUDDHA	
1028.	218356	NARESH SHARMA	
1029.	218402	AVINASH VERMA	
1030.	218416	ABHITESH SINGH	
1031.	218890	RAJYANAND GAUTAM	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1032.	219033	MAYANK DWIVEDI	
1033.	219126	SAFALTA DUBEY	
1034.	219202	PRASHANT KUMAR SHARMA	
1035.	219427	ROSHNI URETI	
1036.	219460	SAURABH SINGH THAKUR	
1037.	219769	TILAK RAJ YADAV	
1038.	220296	ANSHUL SHRIVASTAVA	
1039.	220451	SAPANA CHOURASIYA	
1040.	220630	RAHUL DUBEY	
1041.	220663	RAMA KHATIK	
1042.	220752	JYOTI SAHU	
1043.	220783	JYOTI PATEL	
1044.	220999	PRAMESH JAIN	
1045.	221417	RUBINA MIZWANI	
1046.	221543	JYOTI BABLI BAIRAGI	
1047.	221735	NAVIN CHHALOTRE	
1048.	221926	MAHESH CHOURASIA	
1049.	221933	ANIRUDDH SINGH	
1050.	222007	RAVI SONER	
1051.	222131	MADHAV KUNDAL	
1052.	222311	AKLESH MALVIYA	
1053.	222344	VISHA MADHWANI	
1054.	222461	GARIMA JAIN	
1055.	222529	SURESH PATEL	
1056.	222572	ASHISH LOHRA	
1057.	222617	SHIVANGI RAJANI	
1058.	222621	ADITI YADAV	
1059.	222843	JAYSHANKAR SHARMA	
1060.	222920	AMARJEET CHOUDHARY	
1061.	223185	ROHIT RATHOR	
1062.	223975	AJAY SALVIYA	
1063.	224217	YOGITA MUKATI	
1064.	224304	ROHIT SINGH ALAWA	
1065.	224320	KRISHNA PRATAP SINGH CHOUDHARY	
1066.	224424	ANURADHA RATHORE	
1067.	224561	DILIP SINGH KUSHWAH	
1068.	224830	GANESH MUKATI	
1069.	225014	AMRAT SINGH	
1070.	225405	HARE SINGH BAMNIYA	
1071.	225489	RAHUL SILADIA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1072.	225747	LOKENDRA SINGH THAKUR	
1073.	225838	KAILASH KANAUI	
1074.	225894	VIBHAV VYAS	
1075.	226107	KAILASH SASTYA	
1076.	226194	AJAY JAT	
1077.	226201	RISHI BHOSLE	
1078.	226509	MAHESH SINGH SOLANKI	
1079.	226666	SANTOSH SOLANKI	
1080.	227078	SHRUTI CHOUDHARY	
1081.	227321	KAMANI THAKUR	
1082.	227335	AMIT NAROLIYA	
1083.	227637	MOHAMMED YUNUSH QURESHI	
1084.	227820	NIDHI LODHI	
1085.	228671	KRISHNA KUMAR PADARIYA	
1086.	229296	PANKAJ KUMAR JAT	
1087.	229421	PRAGYA GEETE	
1088.	229456	AVINASH HARIT	
1089.	230529	HEMANT KUMAR VERMA	
1090.	230707	RAHUL SINGH	
1091.	230912	AKHILESH KUMAR PATHAK	
1092.	231130	UMESH KUMAR KURMI	
1093.	231227	NADEEMA SHIRI	
1094.	231294	JAGPAL SINGH YADAV	
1095.	232744	DR MUNNA AD	
1096.	233965	SHANTILAL BADOLE	
1097.	234614	ANJALI PANWAR	
1098.	234779	SANGRAM SINGH GORE	
1099.	235308	PRIYANKA SINGH	
1100.	235730	KAVITA YEDE	
1101.	235839	MOHIT GANVEER	
1102.	235945	POOJA UIKEY	
1103.	236194	PRABHAT WARKADE	
1104.	236289	HEMANT KUMAR RAWTE	
1105.	236306	PRASHANT MESHARAM	
1106.	236552	URVASHI GOUTAM	
1107.	236722	HOMENDRA PATLE	
1108.	236783	VAIBHAV THAKRE	
1109.	237542	DIVYA RAHANGDALE	
1110.	237571	HEMANT MESHARAM	
1111.	237669	RAJESH PARTE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1112.	237734	ANJNA JAITWAR	
1113.	237924	CHETAN DHARMIK	
1114.	238407	ZAKIA ROOHI	
1115.	238469	ASHA DEVI PATLE	
1116.	238696	NEETU JAISWAL MAHORE	
1117.	238890	SANGHMITRA MANVETKAR	
1118.	239105	RAVISHANKER RANA	
1119.	239118	SATYAPRAKASH DHARNE	
1120.	239132	DEEPAK RANA	
1121.	239182	AAKASH MESHRAM	
1122.	239281	RAMESHWAR TEKAM	
1123.	239513	PRASANNJEET DONGRE	
1124.	239570	ASHISH KUMAR KOTANGALE	
1125.	239646	NAMITA DHAMGAYE	
1126.	239668	PURNIMA BHAGAT	
1127.	239995	PRATHNA GAJBHIYE	
1128.	240034	ASHOK KUMAR RAHANGDALE	
1129.	240072	RAHUL GAJBHIYE	
1130.	240705	PUSHPENDRA KUMAR PALKE	
1131.	240716	ARTI MARAVI	
1132.	240737	RAJESH LILHARE	
1133.	241193	MEENAXI CHOUHAN	
1134.	241450	BHEEKHAM SINGH DHURWEY	
1135.	241504	VIJAY KUMAR DHURVE	
1136.	241608	ADITYA KUMAR MESHRAM	
1137.	241653	ANIL KUMAR WASNIK	
1138.	241669	ROSHNI DONGRE	
1139.	241974	VINIT TRIPATHI	
1140.	242312	POOJA BHORJAR	
1141.	242374	PAHAL SINGH WALARI	
1142.	242445	RAVINDRA KUMAR LILHARE	
1143.	242792	PAWAN KUMAR BAGDE	
1144.	242805	ASHOK KUMAR MAHORE	
1145.	243021	RAJNI VERMA	
1146.	243463	NAVNEET PANDEY	
1147.	243749	ABHINAV KUMAR BARANGE	
1148.	243771	CHANDRA SHEKHAR PANDEY	
1149.	244393	MAHAVEER JATAV	
1150.	245492	JUHI SHARMA	
1151.	245500	RAKESH KUMAR AHAKE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1152.	245605	REKHA GUJRE	
1153.	246528	NIMESH DESHMUKH	
1154.	246629	SMITA DESHMUKH	
1155.	246755	YAJUVENDRA WAGHMARE	
1156.	247103	PRAMOD KUMAR BARDE	
1157.	247430	DURGESH KUMAR BHUMARKAR	
1158.	247441	DHARMENDRA VERMA	
1159.	247812	DEEPENDRA SINGH KUSHWAH	
1160.	247870	ALOK .	
1161.	247961	MANVENDRA SINGH BHADORIA	
1162.	248023	RAJANI BAGHEL	
1163.	248365	RAMESHWAR PRASAD AHIRWAR	
1164.	248572	PAVAN KUMAR SHARMA	
1165.	248728	MAHAVIR SINGH	
1166.	248768	DHARMENDRA SINGH	
1167.	248787	ANAND SINGH RAJAWAT	
1168.	248835	HARSH MAWAR	
1169.	249420	VEERENDRA SINGH	
1170.	249439	RAJEEV KUMAR SAMADHIYA	
1171.	250075	BIJENDRA SINGH YADAV	
1172.	250093	SUDHISH KAMAL	
1173.	250228	SANDEEP KUMAR CHATURVEDI	
1174.	250287	SHASHANK SINGH GURJAR	
1175.	250507	NIRAJ MEGHWAL	
1176.	250572	VEENA RAHANGDALE	
1177.	250586	HIMANI MANWARE	
1178.	250589	RITURAJ SINGH	
1179.	250762	SARITA CHOUDHARI	
1180.	250770	RAJESH SORTEY	
1181.	250873	MANJU CHOUHAN	
1182.	250874	AKASH KUMRE	
1183.	251105	AYUSH KUMAR ALAWA	
1184.	251127	SANDEEP SINGH THAKUR	
1185.	251153	SUREKHA JATAV	
1186.	251167	ANKITA TRIPATHI	
1187.	251289	JYOTI KUMBHARE	
1188.	251467	ISHWAR SINGH VERMA	
1189.	251704	DEEPAK PATEL	
1190.	251751	VAISHALY JAIN	
1191.	251753	TRAPTI PATIL	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1192.	251824	VIKAS KUMAR PATEL	
1193.	251914	ASHUTOSH PANDEY	
1194.	251940	AMIT KUMAR ARYA	
1195.	252086	POOJA RANA	
1196.	252169	SHILPI SINGH	
1197.	252170	RAMAN MOURYA	
1198.	252177	NIDHI MEENA	
1199.	252188	KUNAL AWASYA	
1200.	252235	RAVEESH SHRIVASTAVA	
1201.	252241	PRAGYA DUBEY	
1202.	252266	PREETI PATEL	
1203.	252394	AKASH GUPTA	
1204.	252426	SUNAY SHRIVASTAVA	
1205.	252507	DHARAMRAJ BAGHEL	
1206.	252540	PRASHANT DUBEY	
1207.	252554	NITESH PATEL	
1208.	252618	SHALINI UIKEY	
1209.	252679	AVINASH NAGLE	
1210.	253102	BHAGVATI PRASAD JONWAR	
1211.	253327	MAMTA GAUR	
1212.	253354	AJAY MUJALDE	
1213.	253494	ARUN KUMAR MASRAM	
1214.	253534	AKASH PRATAP SINGH	
1215.	253795	PRADEEP KUMAR	
1216.	253894	VEER SINGH SHIKARI	
1217.	253930	VIKAS TAMRAKAR	
1218.	254211	VIVEK PANDEY	
1219.	254231	RAJEEV CHOUDHARY	
1220.	255499	KALPANA DHURWAY	
1221.	255586	SANJEEV KUMAR PANDEY	
1222.	255609	RAJKUMAR VERMA	
1223.	255824	ATUL SINGH BHADAURIYA	
1224.	255868	MANISHA WASKALE	
1225.	256661	RENU DAMOR	
1226.	256750	JABIR KHAN	
1227.	256761	PRAVIN NAWANGE	
1228.	256933	MANISHA SALLAM	
1229.	257008	APURVA SAXENA	
1230.	257051	DEEPIKA PAW	
1231.	257096	SOMYA AGARWAL	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1232.	257109	ARUNA SHUKLA	
1233.	257518	RAKHI PANDEY	
1234.	257827	DEEPALI SINGH CHHARI	
1235.	258138	SURABHI MEENA	
1236.	258161	RAKSHA MARAVI	
1237.	258192	JITENDRA PAHADEKAR	
1238.	258353	PUSPENDRA KUMAR VERMA	
1239.	258444	JYOTI PANDEY	
1240.	258477	ARUN PRATAP SINGH	
1241.	258742	AKASH SONU SAKET	
1242.	258832	ANUBHA SINGH	
1243.	258929	GHANSHYAM CHOKSEY	
1244.	258953	PRIYA SINDHI	
1245.	259031	SANUJ MARAVI	
1246.	259165	BIRENDRA CHOUHAN	
1247.	259220	NAGENDRA KUMAR CHAUDHARI	
1248.	259567	VARSHA JAIN	
1249.	259752	TARUN RAHANGDALE	
1250.	260050	CHAKRESH KUMAR RAJAK	
1251.	260334	RESHAM DWIVEDI	
1252.	260342	MUMAL BOHAT	
1253.	260465	VEER BAHADUR SINGH DHURWE	
1254.	260502	PRAVEEN KAROCHE	
1255.	260801	KALPANA KHATIK	
1256.	260829	SAURABH PANDEY	
1257.	260984	AKHILESH SHUKLA	
1258.	261206	ALOK JAIN	
1259.	261220	SACHIN GUPTA	
1260.	261473	SHUBHANGI MALJONIA	
1261.	261492	ARVIND KUMAR SHAH	
1262.	261920	BRIJLAL MARKAM	
1263.	262659	MADHU CHOUDHARY	
1264.	262847	RUHI HAQUE	
1265.	262923	ASHWANI KUMAR BAMRELA	
1266.	262960	CHIDBHAWANAND SHUKLA	
1267.	263136	ANKITA KHATARKAR	
1268.	263294	DANISH AHMED KHAN	
1269.	263533	MOUSAM PALEWAR	
1270.	263633	RASHMI CHOUHAN	
1271.	263731	IREENA BAGHEL	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1272.	264329	RAVI SHANKAR CHATURVEDI	
1273.	264418	DEVRAJ NAGINA	
1274.	264591	RAJEEV KUMAR SHENDRAM	
1275.	264678	ANIL JAIN	
1276.	264680	SUNDER LAL BISEN	
1277.	264799	RAKESH NAGAR	
1278.	264882	ANITA DWIVEDI	
1279.	264948	AKHIL RATHORE	
1280.	265002	MADHUSUDAN NAGLE	
1281.	265171	SARVESH NAGAR	
1282.	265278	ANKITA YADUVANSHI	
1283.	265411	PALAK PIDIHA	
1284.	265609	CHANDRAKANT PATIDAR	
1285.	265903	ANURAG UIKEY	
1286.	266114	MEGHA RAJPOOT	
1287.	266284	RASHMI DHURERIYA	
1288.	266700	SATISH MALVIYA	
1289.	266755	ZAINAB HAMEED	
1290.	266846	RAM PORWAL	
1291.	266912	DHANRAJ HARIYALE	
1292.	267396	ANUPAM SINGH PATEL	
1293.	267865	RAVENDRA SINGH GOUND	
1294.	267935	JEET SINGH DHURWEY	
1295.	268484	MUBIN MOHAMMAD	
1296.	268890	SIDDHARTH KHARE	
1297.	269251	SATYENDRA SINGH NARWARIA	
1298.	269343	ANUBHA JAIN	
1299.	269704	AKASH JAIN	
1300.	269728	GOVIND ATHIYA	
1301.	269803	TINESHWARI DHRUW	
1302.	269815	KRISHNA CHANDRA SHEKHAR	
1303.	269941	PALLAVI MALPANI	
1304.	269955	NIKHILESH KATARE	
1305.	270024	PUSHPENDRA DWIVEDI	
1306.	270076	KULDEEP MALIK	
1307.	270279	PRIYANKA NETAM	
1308.	270404	RAGINEE RATHORE	
1309.	270585	MEGHA SHARMA	
1310.	270625	NEELAM SHRIVAS	
1311.	270834	NEHA GOUR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1312.	270852	PANKAJ KUMAR GUPTA	
1313.	270859	MONA SAKSENA	
1314.	271170	JAIPAL VISHWAKARMA	
1315.	271460	ANKIT YADAV	
1316.	271476	ARTI BODHI	
1317.	271668	BALRAM DHAKAR	
1318.	271739	PURUSHOTTAM MEGHWAL	
1319.	271796	HANS RAJ SINGH	
1320.	271803	GARIMA WAIKER	
1321.	271993	KAMLESH KUMAR MAGARDE	
1322.	272186	PRIYA SINGH	
1323.	272189	SHAIFALI SHARMA	
1324.	272264	SUDHANSHU SONI	
1325.	272733	ANJUL AYANK MISHRA	
1326.	272778	MOHD SHUAIB SHAIKH	
1327.	273003	MAN SINGH LODHI	
1328.	273127	SHITANSHU DHURVE	
1329.	273227	SNEHIL TRIPATHI	
1330.	273390	PUSHKAR NATH PATEL	
1331.	273490	MADHVI MAURYA	
1332.	273669	SUMEET KUMAR DONGRE	
1333.	273798	RAKESH MANDLEKAR	
1334.	273866	ROHIT YADAV	
1335.	274059	DURGESH ARMO	
1336.	274146	ASHUTOSH ANIL VISHNOI	
1337.	274473	GEETA UIKEY	
1338.	274612	RITU SALWE	
1339.	274782	SHIVENDRA KUMAR PATHAK	
1340.	274874	MANISHA CHATURVEDI	
1341.	275831	AMIT KUMAR WATTI	
1342.	275842	RITU MEHRA	
1343.	276026	VIKAS KUMAR GAUTAM	
1344.	276118	PRACHI BOHARE	
1345.	276146	KAVITA SHYAM	
1346.	276411	TS RAGHAVENDRA	
1347.	276506	MEGHA SUMAN	
1348.	276846	REENA YADAV	
1349.	276850	MANIK MISHRA	
1350.	277093	NITESH PAWAR	
1351.	277298	ATUL KUMAR SHRIVASTAV	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1352.	277421	KONIKA KOSHTI	
1353.	277471	DEEPMALA AHKEY	
1354.	277550	RISHIBHA SINGH NETAM	
1355.	277586	DEVENDRA PRATAP SINGH	
1356.	277863	SHIVA SHAKYA	
1357.	278050	DEEPA KOTASTHANE	
1358.	278148	BRATESH JAIN	
1359.	278756	SANJEEV KUMAR DHURVE	
1360.	278823	SUREKHA YADAV	
1361.	278833	RAJENDRA SINGH KANESH	
1362.	279896	ADITYA JANGHELA	
1363.	280017	HIMANSHU KASHYAP	
1364.	280088	AJAY WAGHMARE	
1365.	280146	KALYANI PANDEY	
1366.	280347	JANKI DANGI	
1367.	280780	RAM BHAGAT KUSHWAHA	
1368.	280896	KEERTI ASATI	
1369.	280902	MANISH KUMAR BORKAR	
1370.	281111	SAPNA JATAV	
1371.	281133	DR. RICHA SAXENA	
1372.	281553	NARENDRA PANDWA	
1373.	282132	VINAY SAXENA	
1374.	282427	NEELIMA NANDKISHOR DHAKAD	
1375.	282675	ADITI BHAWSAR	
1376.	282846	KETAN ADLAK	
1377.	282876	PRAVEEN KUMAR JAISWAL	
1378.	282941	ANSHUL DIXIT	
1379.	282981	POONAM DUBEY	
1380.	283052	VIRENDRA SOLANKI	
1381.	283099	ANKIT SONI	
1382.	283125	NEHA NAGAR	
1383.	283426	AMITABH JOSHI	
1384.	283441	JITENDRA SINGH JAT	
1385.	283593	SULAB SINGH PUSHAM	
1386.	283652	GOURAV SAIYAM	
1387.	283883	VIVEKANAND YADAV	
1388.	284420	NEETU UIKEY	
1389.	285063	BHAOLAL PARDHI	
1390.	285143	KRISHNAKANT UIKEY	
1391.	285251	JAGESHWAR PRASAD PANDRO	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1392.	285277	VARSHA JHARIYA	
1393.	286128	ABHILASH KUMAR BHALAVI	
1394.	286485	DEEPAK MALI	
1395.	286601	SHIV PRATAP SINGH	
1396.	286719	MRIGENDRA SISODIYA	
1397.	286730	MAHENDRA SINGH DANGI	
1398.	286789	SUNIL RAWAT	
1399.	287131	NIKESH KUMAR BHIDE	
1400.	287225	REENA SOLANKI	
1401.	287771	ROHIT CHOUDHARY	
1402.	287971	YOGITA BHATNAGAR	
1403.	288057	SANTOSH KUMAR	
1404.	288234	KESHAV SINGH SAGAR	
1405.	288705	ATUL SINGHAL	
1406.	288731	RISHI KUMAR	
1407.	288860	JITESH VERMA	
1408.	289134	PINTU RAWAT	
1409.	289157	POOJA MAWAI	
1410.	289334	AMIT .	
1411.	289569	ROHIT PANT	
1412.	289666	AFEESAR SINGH	
1413.	289750	LALIT SINGH SIKARWAR	
1414.	289941	DHARAMVEER UMRAIYA	
1415.	290125	JYOTI KUSHWAH	
1416.	290279	LALITA GARG	
1417.	290380	MANISH SHRIVASTAVA	
1418.	290874	KAMINI BHARDWAJ	
1419.	290985	RAJESH SINGH YADAV	
1420.	291029	NAKUL KUMAR	
1421.	291082	ANSHU KUMAR	
1422.	291196	BALBEER SINGH	
1423.	291284	CHANDRA PRAKASH DUBEY	
1424.	291357	SHARAD TIWARI	
1425.	291416	VIVEK SINGH RAJPUT	
1426.	291622	HARIOM BANSAL	
1427.	291684	ASHWANI KUMAR	
1428.	291741	TINKU SINGHAL	
1429.	291811	ABHISHEK KUMAR SINGH	
1430.	291860	SURAJ SHARMA	
1431.	291955	PRANAV JAIN	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1432.	292042	PREETI SANGHVI	
1433.	292092	JANKILAL CHARPOTA	
1434.	292454	JAYDEEP PUNGLIA	
1435.	292740	ASHISH BAROD	
1436.	292759	HITESH KHANDELWAL	
1437.	292783	DAYARAM VASUNIA	
1438.	292904	PRAHLAD DADING	
1439.	293208	TOLARAM MUNIYA	
1440.	294119	NARENDRA SINGH DAMAR	
1441.	294291	CHITRANSHI DAMOR	
1442.	295475	POOJA SHARMA	
1443.	295540	JAGDISH SINGH BHIL	
1444.	295665	VIJAYA BHILALA	
1445.	296123	SAURABH KUMAR	
1446.	296235	DINESH KUMAR DANGI	
1447.	296614	MANISH KUMAR JAIN	
1448.	296905	VISHAL SONI	
1449.	296962	DHEERAJ SHARMA	
1450.	296965	SONAM PARIHAR	
1451.	296978	SATISH KHATRI	
1452.	296994	MANISH RAJ	
1453.	297066	ASHISH KUMAR YADAV	
1454.	297228	VIMLESH KUMAR CHOUDHARY	
1455.	297356	PUSHRAJ SINGH	
1456.	297605	PRASUN KUMAR MISHRA	
1457.	297706	DIVYA TRIPATHI	
1458.	298062	MUKESH KUMAR MISHRA	
1459.	298153	ANURADHA SINGH	
1460.	298182	MANISH DWIVEDI	
1461.	298576	PRABHAT CHATURVEDI	
1462.	298765	MAMTA MISHRA	
1463.	298947	ABHISHEK SINGH	
1464.	299473	AMBUJ TRIPATHI	
1465.	299658	RAM KRISHNA KASHYAP	
1466.	299844	DURGESH SHARMA	
1467.	299870	RAJVATI DIPANKAR	
1468.	301315	SUSHAMA MISHRA	
1469.	301590	AJEET KUMAR TIWARI	
1470.	301600	SATISH KUMAR DWIVEDI	
1471.	301683	ABHISHEK SINGH BAGHEL	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1472.	301921	MONIKA VERMA	
1473.	302015	SANAT KUMAR PANDEY	
1474.	302065	VIBHUTI NARAYAN MISHRA	
1475.	302741	RAM ABHILASH KOL	
1476.	303097	AMIT KUMAR TIWARI	
1477.	303626	MANORAMA TIWARI	
1478.	304182	MATRI PRASAD MISHRA	
1479.	304289	VINOD KUMAR SINGH	
1480.	304422	NEELESHPANDEY	
1481.	304844	RAHUL SINGH KACHHWAH	
1482.	305212	ANURADHA SINGH	
1483.	305252	RAM KUMAR KOL	
1484.	305430	RAJEEV KUMAR PATEL	
1485.	305462	ASHOK KUMAR TIWARI	
1486.	305681	VIKAS TIWARI	
1487.	305802	SANDEEP SINGH	
1488.	306185	ROHIT DUBEY	
1489.	306220	AKHILESH KUMAR DEEPANKAR	
1490.	306897	ABHAYRAJ SINGH	
1491.	307256	SONIYA PARIHAR	
1492.	307719	SHYAMU SHRIVASTAVA	
1493.	307777	JEEVAN SINGH RAJAK	
1494.	307887	RAJENDRA KUMAR VISHWAKARMA	
1495.	308604	PRIYANKA KIRAR	
1496.	308642	MAHESH KUMAR MOURYA	
1497.	308949	REETA DAHERIYA	
1498.	309109	AYUSH AGRAWAL	
1499.	309116	PRAVEEN KUMAR KULDEEP	
1500.	309175	PINKEY RAGHUWANSHI	
1501.	309717	VIKAS SINGH BAGHEL	
1502.	309744	RAJEEV KUMAR MISHRA	
1503.	309844	AKHILESH KUMAR PANDEY	
1504.	310043	VIVEK MOHAN CHAUDHARY	
1505.	310098	ADITYA PRAKASH DWIVEDI	
1506.	310171	JAI SINGH SHIKARWAR	
1507.	310273	ABHISHEK SINGH BAGHEL	
1508.	310428	TUSHAR SINGH	
1509.	310513	KULDEEP SHRIVASTAVA	
1510.	310793	REETIMA PURI	
1511.	311557	SANTOSHI GUPTA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1512.	311661	AKASH DEEP NAMDEO	
1513.	311770	DEEPTI MANJHI	
1514.	312311	SATENDRA SINGH TOMAR	
1515.	312313	ASHOK KUMAR MISHRA	
1516.	312326	NAND LAL NAGAR	
1517.	312582	SHRIKANT TRIPATHI	
1518.	312694	SUBHASH YADAV	
1519.	312717	CHANDRA SHEKHAR MISHRA	
1520.	312809	PRABHASH RAJ GHANGHORIYA	
1521.	312927	AGNIVESH .	
1522.	313098	PRAVIN YADAV	
1523.	313233	ANIL KUMAR SONI	
1524.	313285	KUSUM MANDLOI	
1525.	313377	PRIYANKA BANSHIWAL	
1526.	313402	JITENDRA GURJAR	
1527.	313408	RAM LAKHAN SHARMA	
1528.	313621	DEEPAK THAKUR	
1529.	313694	REENA SHARMA	
1530.	313891	SURENDRA SINGH MOURYA	
1531.	313994	NISHA BHARDWAJ	
1532.	314034	JYOTI SHIVHARE	
1533.	314094	LOKENDRA SINGH SARAL	
1534.	314117	MAYANK KHEMARIYA	
1535.	314233	RAGHAVENDRA SINGH	
1536.	314420	ETI SHARMA	
1537.	314469	HEMANT BHARGAV	
1538.	314676	RUCHI SHARMA	
1539.	314761	CHHAYALATA DANGI	
1540.	314835	UPENDRA KUMAR JHA	
1541.	314869	KHUSHBOO PRIYA MARAVI	
1542.	314881	UDAYBHAN SINGH VERMA	
1543.	315048	SUNITA SHARMA	
1544.	315092	SUMIT AGARWAL	
1545.	315107	NEETESH BHARGAVA	
1546.	315163	NARENDRA RAWAT	
1547.	315233	SHWETA GUPTA	
1548.	315302	DIVYA SHARMA	
1549.	315398	SUNIL VERMA	
1550.	315406	MANMOHAN SINGH	
1551.	315457	YUKTI SHARMA	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1552.	315545	HEMENDRA GOVIL	
1553.	315546	SONU GUPTA	
1554.	315580	ATUL VERMA	
1555.	315617	RAVI BARELIA	
1556.	315768	AYUSHI GOYAL	
1557.	316171	VANDNA KAITHAL	
1558.	316393	SONALI BARELIA	
1559.	316532	NIDHI RAJPUT	
1560.	316927	SHUBHAM SHARMA	
1561.	317297	PRAVEEN CHANDAN	
1562.	317440	JYOTI GUPTA	
1563.	317584	SHRUTI AGRAWAL	
1564.	318185	PRAVEEN KUNDAN .	
1565.	318352	PRAGYA BHARTIYA	
1566.	318750	BRIJENDRA KUMAR SAKET	
1567.	318865	VAISHALI SINGH	
1568.	318904	THAKUR SUNIL URAITI	
1569.	318974	SANJAY KUMAR SUMAN	
1570.	319168	RAMESH KUMAR SINGH	
1571.	319208	HALDHAR PRASAD MISHRA	
1572.	319666	VINAY PRAJAPATI	
1573.	320029	MUKESH GUPTA	
1574.	320058	ASHUTOSH SINGH BHADAURIYA	
1575.	320218	RAMBAHOR PRAJAPATI	
1576.	320352	SANJAY SHARMA	
1577.	320504	SONAL ANAND	
1578.	320521	NISHA TRIPATHI	
1579.	320857	MANJUSHA TRIPATHI	
1580.	321252	VACHASPATI MISHRA	
1581.	321262	MANISH KUMAR SINGH	
1582.	321291	ANAMIKA GAUTAM	
1583.	321687	POOJA YADAV	
1584.	321788	JITENDRA KUMAR SONI	
1585.	321875	USHA KIRAN GUPTA	
1586.	321887	AMRITA GARG	
1587.	322170	KAMAL PRATAP	
1588.	322180	MANISH KUMAR TRIPATHI	
1589.	322909	NEERAJ PANDEY	
1590.	323721	ABHIMANYU PANDEY	
1591.	323829	AMIT RAJ SINGH	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1592.	323858	ARVINDRA AHIRWAR	
1593.	324290	POOJA RAI	
1594.	324369	AJAY MISHRA	
1595.	324489	NITISH KUMAR SHAHI	
1596.	324896	UDAY BHAN BAGRI	
1597.	325282	AMRITA GARG	
1598.	325407	SANJEEV KUMAR MISHRA	
1599.	325755	RAJ KUMAR SAHU	
1600.	325831	NAVEEN TIWARI	
1601.	326296	JITENDRA KUMAR GUPTA	
1602.	327069	SATYA SONI	
1603.	327087	ABHISHEK SINGH THAKUR	
1604.	327114	NEETU KORI	
1605.	327357	KESHAV SONI	
1606.	327559	AASHISH KUMAR JAIN	
1607.	327645	AJAY GOUR	
1608.	327896	MUKESH KUMAR SAHU	
1609.	327915	NEETESH KUMAR JAIN	
1610.	327938	YASH BIJORIYA	
1611.	327954	RAJENDRA KUMAR YADAV	
1612.	328005	ANSHUL GARG	
1613.	328007	VAISHALI KAMBLE	
1614.	328018	BRIJENDRA SINGH	
1615.	328336	BRIJESH DHURWEY	
1616.	328464	RAVISHANKAR SINGH	
1617.	328645	ADITI JAIN	
1618.	328663	SHEETAL PATERIYA	
1619.	328695	AKASH JAIN	
1620.	329234	KARNIK SHRIVASTAVA	
1621.	329569	NEETU SINGH GOND	
1622.	329647	ROSHANI SINGH THAKUR	
1623.	329779	SAUMYA JAIN	
1624.	329820	SANJEEV KUMAR GOSWAMI	
1625.	329930	NANDINI SHARMA	
1626.	330019	NILESH KUMAR SHARMA	
1627.	330045	ANKITA JAIN	
1628.	330300	ROHIT CHOURASIA	
1629.	330301	PRATIBHA JAIN	
1630.	330600	SONAL GOYAL	
1631.	330818	DEEPA PARMAR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1632.	330907	NIYATI SAHU	
1633.	331007	PRIYA MARAVI	
1634.	331073	PRIYANKA RATHORE	
1635.	331821	TAPASYA JAIN	
1636.	332061	CHANDRASHEKHAR SHARNAGAT	
1637.	332166	HIMANSHU DEOSKAR	
1638.	332170	ABHISHEK TIWARI	
1639.	332178	ANAMIKA SARAF	
1640.	332306	ROHIT SISSONIYA	
1641.	332324	SEEMA PATERIYA	
1642.	332361	SONU KURMI	
1643.	332597	MANJU AHIRWAR	
1644.	332778	ASHISH KUMAR SHILPI	
1645.	332802	SAURABH RATNAKAR	
1646.	332809	NILESHWARI DAWAR	
1647.	332997	PRABAL ARJARIYA	
1648.	333035	OM PRAKASH MISHRA	
1649.	333042	PRIYANK SHRIVASTAVA	
1650.	333197	NAMRATA SHUKLA	
1651.	333370	VIKRAM SINGH	
1652.	333406	RAJEEV GOYAL	
1653.	333433	POOJA JAIN	
1654.	333485	RUCHITA CHOUBEY	
1655.	333514	RITU RAY	
1656.	333832	SHIVANI RAIKWAR	
1657.	334330	SWATI SINGH BAGHEL	
1658.	334432	ROOPENDRA KUMAR DHURVE	
1659.	334850	HEM SINGH SHYAM	
1660.	335223	MAHENDRA KUMAR TALWARE	
1661.	335235	ANIMESHA GARPAL	
1662.	335514	AKANT RAHANGDALE	
1663.	335903	RAJESH UIKEY	
1664.	335924	RADHESHYAM VERMA	
1665.	335952	BHAGVATI VERMA	
1666.	336202	KALPANA DHURVE	
1667.	336521	AMRITA DIWAKAR	
1668.	336541	MANOJ KUMAR THAKUR	
1669.	337017	SUNAYNA BRAMHE	
1670.	337198	NEERAJ KUMAR SANODIYA	
1671.	337369	SHRIKANT PATTAR	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1672.	338332	MANOJ KUMAR PRAJAPATI	
1673.	338357	SATYAM MISHRA	
1674.	338919	ARUN MEWADA	
1675.	339062	SAPNA BAGANA	
1676.	339098	RAVINDRA GAMAD	
1677.	339738	SONALI NAREDA	
1678.	340097	MITALI SARIYAM	
1679.	340649	ARJUN KUMAR	
1680.	341726	PRADEEP KUMAR MONGRE	
1681.	341834	JAISHREE RATHORE	
1682.	342288	ABHISHEK SINGH	
1683.	342510	RUHI BAVEJA	
1684.	342639	PALLAVI GOUR	
1685.	342780	NIMESH PANDEY	
1686.	343009	SHWETA RAWAT	
1687.	343310	REETIKA YADAV	
1688.	343434	AKHILESH KUMAR YADUWANSHI	
1689.	343521	DEEPAK DIGARSE	
1690.	343602	OMNARAYAN SINGH BADKUL	
1691.	343810	NITESH PAL	
1692.	344134	DEVESH SARATHE	
1693.	344140	SANTOSH KUMAR YADUWANSHI	
1694.	344558	VARSHA IRPACHE	
1695.	344564	PREETI SAHU	
1696.	344810	RAMGOPAL MEENA	
1697.	344816	NAVMIDAS CHOUKIKAR	
1698.	345422	SARITA MEENA	
1699.	345597	HARSHVARDHAN SINGH TOMAR	
1700.	345822	ANURAG JAIN	
1701.	346075	SUBHASH CHAND MOURYA	
1702.	346144	RAJESH KUMAR DHAKAD	
1703.	346293	RAHUL CHAUHAN	
1704.	347056	ANURAG TRIPATHI	
1705.	347072	NIKITA VERMA	
1706.	347317	KUMAR SHANU DEORIYA	
1707.	347604	PRIYANKA KARCHAM	
1708.	347853	NIVEDITA POOSHAM	
1709.	347930	SWAPNIL SHRIVASTAVA	
1710.	348465	POOJA MARAVI	
1711.	348553	JAYANT KUMAR PARASTE	

S.NO.	ROLL	NAME	REMARK
1712.	348831	PRASHANT SINGH BHADORIA	
1713.	348922	SHIVANI MOURYA	
1714.	349027	SUMAN BAGHEL	
1715.	349405	PUSPRAJ MARAVI	
1716.	349428	LALITESH SINGH NAYAK	
1717.	349497	REENA SINGH RATHOUR	
1718.	349532	AMIT KUMAR RINAHITE	
1719.	349891	ANKUSH MISHRA	
1720.	350304	MONIKA SINGH PARIHAR	
1721.	350650	RAJKUMAR NAGORIYA	
1722.	350819	PAVAN KUMAR BHOJAK	
1723.	351298	SAMBEER SINGH	
1724.	351597	MAMTA KANESH	
1725.	352690	SAURABH TOMAR	
1726.	353368	SHAKTI KUNJ	
1727.	353488	SHAIENDRA BIHARI SHARMA	
1728.	353527	ANCHAL AGRAHARI	
1729.	353704	LAVLESH MISHRA	
1730.	354131	CHANDU LAL PANIKA	
1731.	354204	RATNESH MISHRA	
1732.	354468	KHYATI MISHRA	
1733.	354582	LAL CHANDRA BAGRI	
1734.	354585	SIDDHARTH SINGH BAGHEL	

महत्वपूर्ण टीप:—

1. सूची में दर्शाये गये प्रत्याशियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जाएगी.
2. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
3. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.
4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
6. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 21 मार्च, 2016

संशोधित अधिसूचना

क्र.746/री.ए.डी.एम./2016.—पूर्व में अति. पुलिस अधीक्षक, यातायात, जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इन्दौर शहर के अन्दर नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में जाने वाले भार वाहनों को कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 288/री.ए.डी.एम./2016, दिनांक 28 जनवरी, 2016 द्वारा नवलखा से अग्रसेन चौराहा होकर लोहा मण्डी व अनाज मण्डी की ओर जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया था।

कृषि उपज व्यापारी संघ, इन्दौर से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में सचिव, कृषि उपज मण्डी, इन्दौर तथा एस.डी.एम., जूनी इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर मोटरयान नियम-1994 के नियम-215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 288/री.ए.डी.एम./2016, दिनांक 28 जनवरी, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार व्यस्त मार्ग पर उनके सामने दर्शाये गये समय एवं अवधि में ट्रक/भारवाही वाहनों के इन्दौर शहर में आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबंधित करता हूँ:—

क्र.	मार्ग	प्रतिबंधित समय एवं अवधि	रिमार्क
1.	नवलखा से अग्रसेन चौराहा होकर लोहा मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों.	पूर्णकालिक.	केवल लोहा मण्डी से संबंधित लोहे वाले वाहनों के लिये यह प्रतिबंध रहेगा.
2.	नवलखा से अग्रसेन होकर अनाज मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनों.	प्रातः 9.30 बजे से दोप. 11.30 बजे व सांय 5.30 बजे से रात्रि 7.30 बजे तक.	केवल अनाज मण्डी से संबंधित वाहनों के लिये यह छूट/प्रतिबंध लागू रहेगा.

1. यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.

2. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/अंशतः यथाअपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेगी.

(280)

इन्दौर, दिनांक 21 मार्च, 2016

संशोधित आदेश

क्र.384/व.लि./016.—इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 155-156/व.लि./016, दिनांक 03 फरवरी, 2016 के अनुसार इन्दौर जिले हेतु उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 (दीपावली का दूसरा दिन) का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुए दिनांक 24 मार्च, 2016 (धुलेंडी) का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है. यह आदेश कोषालय/उपकोषालय एवं बैंक पर लागू नहीं होगा.

पी. नरहरि,
कलेक्टर.

(281)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

रा.प्र.क्र.02/बी-113(1)/2015-16.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का तीसवां संशोधन की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

आवेदकगण बाबूलाल डोंगरे एवं अन्य-14, न्यासी उमरानाला, तहसील मोहखेड द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, की धारा-4 के अधीन लोक न्यास के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. न्यास का उद्देश्य हिंदू धर्म एवं हिन्दु संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये धार्मिक शैक्षणिक एवं प्रचारात्मक गतिविधियों को संचालित करना, प्रोत्साहित करना और संरक्षण प्रदान करना जिससे समाज में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक व धार्मिक उत्थान में सहायता होकर भारतीय जीवन मूल्यों की व संस्कृति की प्रतिस्थापना हो. पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, चिकित्सालय एवं संस्कार केन्द्र खोलना है.

अतः जो भी व्यक्ति इस न्यास के सम्बन्ध में या सम्पत्ति के बारे में हित रखता हो या जो भी प्रकरण में आपत्ति तथा अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से 30 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष स्वयं या अपने अधिकृत अभिकर्ता/अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात् की गई आपत्ति या सुझाव आदि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम और पता	..	सार्वजनिक शिवालय, ओंकारधाम उमरानाला, तहसील-मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	..	निरंक.
अचल सम्पत्ति	..	ग्राम ईकलबिहरी, ख. नं. 566, रकबा 0.384 हे. में.

(294)

डी. एन. सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर वृत्त भोपाल

प्र.क. /बी-113/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

जाहिर सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

जैसा कि सोनिक स्पोर्ट फाउन्डेशन भोपाल द्वारा संजय विजय शिन्दे ट्रस्टी (न्यासी) "सोनिक स्पोर्ट फाउन्डेशन भोपाल" एच-27 74 बंगले निशात कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हों वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	..	"सोनिक स्पोर्ट फाउन्डेशन भोपाल".
2. अचल सम्पत्ति	..	निल.
3. चल सम्पत्ति	..	2,000 रुपये.

आज दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(282)

सुनील राज नायर,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., 8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016

कार्यभार ग्रहण सूचना

क्र./मी./2015-16/4353. — कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/भूविअ/1/परि.2016/133, भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा बैंक को परिसमापन में लाया जाकर मुझे बैंक का परिसमापक नियुक्त किया गया है. जिसके परिपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक 22 मार्च, 2016 को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल के परिसमापक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है.

अतएव परिसमापक से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से किये जावे.

(283)

पी. एस. नरगेश,
परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1109.—अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./122, दिनांक 26 मई, 1986 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/316, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 424 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1110.—साईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./368, दिनांक 10 फरवरी, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/324, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 428 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत साईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-A)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1111.—श्री तिरूपति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./279, दिनांक 05 सितम्बर, 2000 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/325, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 429 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत श्री तिरूपति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र पाल सिंह, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-B)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1112.—स्वामी विवेकानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./48, दिनांक 12 अगस्त, 1971 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/307, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 419 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत स्वामी विवेकानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र पाल सिंह, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-C)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1113.—नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./393, दिनांक 28 अगस्त, 2005 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/308, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 420 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत नवदुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-D)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1114.—संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./101, दिनांक 10 मई, 1982 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/307, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 420 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-E)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1115.—स्याद्वाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./225, दिनांक 25 मार्च, 1995 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/309, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 421 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत स्याद्वाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-F)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1117.—माँ सन्मति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./399, दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/338, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 435 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत माँ सन्मति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. कुशवाह, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-G)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1118.—कविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./386, दिनांक 29 सितम्बर, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/337, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 435 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत कविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-H)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1119.—जय माता दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./302, दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/334, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 433 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत जय माता दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-I)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1120.—सहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./382, दिनांक 10 अगस्त, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/333, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 433 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत सहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनंद कुमार मांझी, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-J)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1121.—भाव भावेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./380, दिनांक 29 जुलाई, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/332, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 432 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत भाव भावेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनंद कुमार मांझी, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-K)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1122.—अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./249, दिनांक 05 जून, 1996 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/331, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 432 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-L)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1123.—अभियंता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./282, दिनांक 30 सितम्बर, 2000 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/330, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 431 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अभियंता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-M)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1124.—गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./394, दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/329, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 431 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-N)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1125.—अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./371, दिनांक 11 जून, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/328, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 430 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एफ. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-O)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1126.—रामेश्वरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./378, दिनांक 26 जुलाई, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/327, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 430 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत रामेश्वरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजकुमार शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-P)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1127.—सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./267, दिनांक 25 जुलाई, 1998 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/310, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 421 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजकुमार शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-Q)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1128.—राजगृह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /डी.आर./जी.डब्ल्यू. आर./116, दिनांक 03 दिसम्बर, 1993 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/320, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 426 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत राजगृह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-R)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1129.—साया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./241, दिनांक 17 जनवरी, 1996 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/167, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 357 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत साया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-S)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1130.—ओम साईराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./383, दिनांक 10 अगस्त, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/315, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 424 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत ओम साईराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-T)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1131.—हर्षित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./276, दिनांक 21 फरवरी, 2002 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/314, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 423 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत हर्षित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-U)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1133.—गजानन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./387, दिनांक 28 दिसम्बर, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/314, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 423 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत गजानन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-V)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1134.—संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./248, दिनांक 31 मार्च, 1996 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/312, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 422 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-W)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1135.—प्रिय दर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./174, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/311, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 422 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रिय दर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-X)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1136.—शोभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./343, दिनांक 19 मई, 2003 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/318, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 425 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत शोभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-Y)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1137.—नवसर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./315, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/168, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 358 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत नवसर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(284-Z)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1138.—बलदेव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./80, दिनांक 02 अप्रैल, 1980 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/200, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 373 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत बलदेव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(285)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1139.—संकट मोचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./36, दिनांक 12 अगस्त, 1971 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/172, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 360 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संकट मोचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(285-A)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1140.—ओम शांती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./319, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/175, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 361 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत ओम शांती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(285-B)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1141.—रत्नाश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र./ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./339, दिनांक 28 मार्च, 2003 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/169, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 358 पर हो चुका है।

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं। मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत रत्नाश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(285-C)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1142.—आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./44, दिनांक 09 सितम्बर, 1959 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/164, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 356 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(285-D)

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1143.—माता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र. /ए.आर./जी.डब्ल्यू.आर./372, दिनांक 01 जून, 2004 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं गत् 03 वर्षों से संस्था के अकार्यशील होने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/173, दिनांक 25 जनवरी, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए दिनांक 25 फरवरी, 2016 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं आवश्यक होने पर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी, 2016 को पृष्ठ क्र. 360 पर हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार हैं. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत माता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री वाय. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

(285-E)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संस्था के समस्त सदस्यगण,

द्वारा—प्रशासक श्री आर. के. शर्मा, वरि. सह. निरी. छतरपुर.

प्रज्ञा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुलगंज.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि प्रज्ञा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुलगंज (जिसे आगे केवल

संस्था कहा गया है) जिसका पंजीयन क्रमांक 973, दिनांक 12 जनवरी, 2004 के संचालक मण्डल एवं प्रबंधक द्वारा संस्था का अभिलेख जांच हेतु उपलब्ध न कराने के कारण संचालक मण्डल को भंग किया जाकर आदेश दिनांक 16 जून, 2014 के द्वारा श्री आर. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, छतरपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था के प्रशासक श्री आर. के. शर्मा द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया गया है कि संस्था की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कमलादेवी द्वारा संस्था के अभिलेख प्रभार में नहीं दिये गये हैं. जिसके कारण संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन का प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा जा सका. ऐसी स्थिति में संस्था का संचालन संभव नहीं है. संस्था के प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने के अनुशंसा की गयी है. इसके साथ ही संस्था की अंकेक्षण टीपों से यह स्पष्ट होता है कि.—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के सदस्य निष्क्रिय है जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
5. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा. कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(286)

छतरपुर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/346.—प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सर्टई के संचालक मण्डल को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2014/2322, दिनांक 10 फरवरी, 2014 के द्वारा अतिष्ठित किया जाकर श्री आर. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था के प्रशासक से आर. के. शर्मा द्वारा कार्यालय में दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को अपने पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया गया कि संस्था के अभिलेख प्रभार में नहीं सौंपे जा रहे हैं जिसके कारण संस्था के निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

संस्था को प्रशासक के उक्त पत्र के आधार पर संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2015/674, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा जारी किया जाकर एक माह के भीतर उत्तर चाहा गया. लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त आज दिनांक तक कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने के सम्बन्ध में संस्था के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सर्टई को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा परिसमापक को यह निर्देशित करता हूँ कि संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(286-A)

छतरपुर, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/353.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./942, छतरपुर, दिनांक 03 जून, 2013 के द्वारा अनुप्रिया महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., खुजराहो, जिसका पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 10 जुलाई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. सी. अग्रवाल, व. सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यावाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(286-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 14 मार्च, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/655.— यह कि मेकलसुता फूड प्रोसेसिंग एण्ड ग्रेन सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2734, दिनांक 01 जून, 2001 के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण टीपों के आधार पर आपकी संस्था में निम्नानुसार अनियमितताएं पायी गई हैं.—

1. संस्था द्वारा किया जा रहा व्यवसाय/लेनदेन संस्था के बैंक खातों के माध्यम से नहीं किया जा रहा है.
2. समिति के सेविंग खाते तथा केश क्रेडिट खाते में व्यवसायिक लेनदेन किया जाना नहीं पाया गया है.
3. समिति खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण एवं विक्रय बिना वैधानिक लायसेंस प्राप्त किये कर रही है.
4. संस्था की वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अंकेक्षण टीप में नाम मात्र का व्यवसाय वर्णित किया गया है. जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है.

उपरोक्त आधार पर यह प्रतीत होता है कि संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित न करते हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हितों के लिए कार्य कर रही है. अतः संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रत्यायोजित की गई है का प्रयोग करते हुए मैं, के पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद आपको कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 1960 की धारा-69 (2) (बी) के अंतर्गत आपकी समिति को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की निर्धारित अवधि में उक्त वर्णित बिंदुओं पर लिखित उत्तर (स्पटीकरण) स-प्रमाण इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित समयवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उक्त आक्षेप स्वीकार है, यह मानते हुए समिति को परिसमापन में लाने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(287)

होशंगाबाद, दिनांक 30 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/790.—मेकलसुता फूड प्रोसेसिंग एवं ग्रेन सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2734, दिनांक 01 जून, 2001 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/655, दिनांक 14 मार्च, 2016 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था द्वारा किया जा रहा व्यवसाय/लेनदेन संस्था के बैंक खातों के माध्यम से नहीं किया जा रहा है.
2. समिति के सेविंग खाते तथा केश क्रेडिट खाते में व्यवसायिक लेनदेन किया जाना नहीं पाया गया है.
3. समिति खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण एवं विक्रय बिना वैधानिक लायसेंस प्राप्त किये कर रही है.
4. संस्था की वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अंकेक्षण टीप में नाम मात्र का व्यवसाय वर्णित किया गया है. जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयवधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, एक आवेदन दिनांक 26 मार्च, 2016 को जबाब प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने हेतु दिया गया है जिसमें आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के पत्र क्रमांक/परि./2016/36, दिनांक 18 मार्च, 2016 का उल्लेख करते हुए 30 दिवस की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन दिया गया है. चूंकि जबाब प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस की अवधि पर्याप्त होती है एवं जबाब देने हेतु अधिक समय मांगना प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब किया जाना प्रतीत होता है. अतः यह आवेदन नस्तिबद्ध किया जाता है.

अतः मेरे यह समाधान हो गया है कि समिति में उपरोक्तानुसार अनियमिततायें व्याप्त है जिसके संबंध में संस्था को अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है संस्था साधारणतः सदस्यों के हित में कार्य न करते हुए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित में संचालित हो रही है, अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मेकलसुता फूड प्रोसेसिंग एवं ग्रेन सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम, की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री किशोर पाराशर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(287-A)

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/314.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2013/469, बड़वानी, दिनांक 16 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोन्दुल, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 1122, दिनांक 26 मार्च, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, डी. सी. एस. ई. ए., जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की

धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(288)

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/315.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2013/469, बड़वानी, दिनांक 16 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., राजघाट, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 1100, दिनांक 16 जनवरी, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, डी. सी. एस. ई. ए., जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

के. एस. रघुवंशी,
सहायक रजिस्ट्रार.

(288-A)

कार्यालय परिसमापक परिसीमाधीन, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

दिनांक 10 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

समस्त नीचे दर्शित परिसमापित संस्थाओं के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर हमें धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

अतः मैं, संजय दवे, उप-अंकेक्षक, सम्बन्धित संस्था के परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करते हैं कि संबंधित संस्था के प्रति कोई दावें या आपत्ति या कोई रेकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर हमें कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला झाबुआ (86, झकनावदा हाउस, चैतन्य मार्ग, झाबुआ) में मय प्रमाण के लिखित रूप में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारियों के पास संस्था का रिकार्ड, परिसंपत्ति या नगदी कोई हो तो उसे उपरोक्त अवधि में हमारे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	
1.	शासकीय कर्मग्रह निर्माण, झाबुआ	557/05-02-1981	274/03-07-2015	संजय दवे.
2.	जिला यातायात एवं परिवहन, झाबुआ	1101/20-02-2014	273/03-07-2015	संजय दवे.
3.	अंत्योदय प्रा. उप भण्डार, झाबुआ	1019/15-05-2007	275/03-07-2015	संजय दवे.

संजय दवे,

परिसमापक एवं उप-आयुक्त सहकारिता.

(289)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

इय कार्यालय के निर्वाचन एवं ऑडिट कक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि, निम्न सहकारी संस्थायें या तो विगत 2 वर्षों से अकार्यशील एवं बंद है, अथवा इनके द्वारा निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं, न ही नियमित अंकेक्षण कराया जा रहा है और विवरणी एवं आमसभा की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा रही है. ये संस्थाएं निम्नानुसार हैं:—

वर्ग	क्रमांक	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5
बुनकर सहकारी समितियाँ	1.	बंजरग बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	215	21-05-1965
	2.	जय अम्बे बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	67	12-03-1984
	3.	लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	58	03-03-1984
	4.	दि मोहगांव बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव हवेली	564	31-01-1947
	5.	पंचशील बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	255	22-03-1965
	6.	पंकज बुनकर सहकारी समिति मर्या., सौंसर	391	17-01-1981
	7.	शिवाजी बुनकर सहकारी समिति मर्या., लोधीखेड़ा	60	03-03-1984
	8.	भोलेनाथ बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव हवेली	377	25-11-1978
	9.	कुशल बुनकर सहकारी समिति मर्या., मोहगांव हवेली	66	09-03-1984
	10.	लोधीखेड़ा खादी उद्योग सह. समिति मर्या., लोधीखेड़ा	37	07-03-1960

अतः मैं, अनीता उइके, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत 2 वर्षों से अकार्यशील है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन दिनांक 02 मार्च, 2016 तक चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र का युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(290)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

इय कार्यालय के निर्वाचन एवं ऑडिट कक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि, निम्न सहकारी संस्थायें या तो विगत 2 वर्षों से अकार्यशील एवं बंद है, अथवा इनके द्वारा निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं, न ही नियमित अंकेक्षण कराया जा रहा है और विवरणी एवं आमसभा की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा रही है. ये संस्थाएं निम्नानुसार हैं:—

वर्ग	क्रमांक	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5
दुग्ध उत्पादक	1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरा अड़कू	54	17-06-1998
सहकारी समितियाँ	2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचरिया	88	22-11-2011

1	2	3	4	5
3.	दादा दरबार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राजेगाँव		142	05-03-1987
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिल्हेरा		290	24-05-1991
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतनूर		307	25-09-1991
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चारगाँव-करबल		308	25-09-1991
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरोरा		312	25-09-1991
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला		364	24-01-1992
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिकाड़ी		366	24-01-1992
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बीजकवाड़ा		376	16-09-1992
11.	श्री दुर्गा लघु कृषक दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., गाजनडोह		376	06-12-1977
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुजावरमाल		380	16-09-1992
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचराम		381	16-09-1992
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोडरा		427	14-12-1993
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालामऊ		431	14-12-1993
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नेर		458	08-12-1994
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मडुआ		459	20-12-1994
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समसवाड़ा		461	20-12-1994
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोघरी		495	29-03-1995
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लहगडुआ जागीर		531	13-12-1995
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिधौरा		533	13-12-1995
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना		534	13-12-1995
23.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उल्हावाड़ी		543	26-03-1996
224.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झामटा		546	26-03-1996
25.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ		579	22-03-1965
26.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरवाड़ा		582	17-06-1998
27.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तालपिपरिया		583	17-06-1998
28.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खूनाझिरकला		671	15-12-2005
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छाबड़ी		689	09-06-2007
30.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कन्हरगाँव		712	20-11-2009
31.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरखपुर		713	20-11-2009
32.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जमुनिया जेटू		714	20-11-2009
33.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., काराघाट कामठी		715	20-11-2009

1	2	3	4	5
	34.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिरेटी	718	21-12-2009
	35.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैनीखापा	719	21-12-2009
	36.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कौड़िया	720	21-12-2009
	37.	पाठई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाठई	721	21-12-2009
	38.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मरकावाड़ा	724	21-05-2010
	39.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुटियादाना	725	21-05-2010
	40.	भुमका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुमका	727	22-05-2010
	41.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिनेकी	730	26-05-2010
	42.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनीलाला	732	26-05-2010
	43.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अडवार	737	03-08-2010
	44.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालाखेड़	738	03-08-2011
	45.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनपठार	753	15-02-2011
	46.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठरानाई	760	17-06-2011
	47.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., थांवरीखुर्द	761	22-11-2011
	48.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटपड़ा	765	22-11-2011
	49.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरा	771	01-03-2012
	50.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरडी	776	01-03-2012
	51.	बादगाँव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बादगाँव	778	16-03-2012
	52.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठिसगोरा	780	16-03-2012
	53.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांगोबा	782	16-03-2012
	54.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़चिचोली	785	16-03-2012
	55.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरसला	789	28-04-2012
	56.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करवार हेटी	790	28-04-2012
	57.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेंदुरजना	791	28-04-2012
	58.	बाबई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबई	793	28-04-2012
	59.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया राजगुरू	794	28-04-2012
	60.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पलटवाड़ा	795	28-04-2012
	61.	हरहिट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरहिट	796	28-04-2012
	62.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरवानी	797	28-04-2012
	63.	मेहलोन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहलोन	803	26-05-2012
	64.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरीदाना	812	10-01-2014

1	2	3	4	5
	65.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगाँव	813	10-01-2014
	66.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा	816	10-01-2014
	67.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., कोण्डाली	1021	29-09-2014
	68.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., सुखारीकला	1023	29-09-2014
	69.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., छुई	1027	29-03-2014
	70.	लोधीखेड़ा खादी उद्योग सह. समिति मर्या., अतरवाड़ा	1028	14-10-2014
	71.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., सातभाईढाना	1029	14-10-2014
	72.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., पीपलपानी	1030	14-10-2014
	73.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., हरदोली	1032	29-09-2014
	74.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., धसनवाड़ा	1033	29-09-2014
	75.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., अकलमा	1041	14-10-2014
	76.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. सह. समिति मर्या., लोनीकला	1043	14-10-2014
	77.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. सह. समिति मर्या., कुसीपार	1044	14-10-2014
	78.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., टेमनीकला	1046	20-10-2014
	79.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., चाटवा	1047	20-10-2014
	80.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., नवलपुर	1052	06-06-2015
	81.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., भेड़ा	1056	06-06-2015
	82.	दुग्ध उत्पादक प्राथ. महिला सह. समिति मर्या., कुण्डाली	1058	06-06-2015
	83.	लोधीखेड़ा खादी उद्योग सह. समिति मर्या., डोंगरपरासिया	1069	18-01-2016

अतः मैं, अनीता उइके, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत 2 वर्षों से अकार्यशील है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन दिनांक 02 मार्च, 2016 तक चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र का युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयवधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(290-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

इय कार्यालय के निर्वाचन एवं ऑडिट कक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि, निम्न सहकारी संस्थायें या तो विगत 2 वर्षों से अकार्यशील

एवं बंद है, अथवा इनके द्वारा निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं, न ही नियमित अंकेक्षण कराया जा रहा है और विवरणी एवं आमसभा की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा रही है. ये संस्थाएं निम्नानुसार हैं:—

वर्ग	क्रमांक	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5
प्राथमिक उपभोक्ता	1.	आस्था का. कर्म. प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., सिरगोरा (शिवपुरी)	702	09-01-2008
सहकारी भण्डार	2.	बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार जुन्नारदेव	526	21-06-1995
	3.	शिवशक्ति प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जुन्नारदेव	688	03-04-2007
	4.	संगम प्राथमिक उप सह. भण्डार मर्या., पातालेश्वर छिन्दवाड़ा	1060	26-06-2015

अतः मैं, अनीता उइके, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत 2 वर्षों से अकार्यशील है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन दिनांक 02 मार्च, 2016 तक चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र का युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयवाधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(290-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

इय कार्यालय के निर्वाचन एवं ऑडिट कक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि, निम्न सहकारी संस्थायें या तो विगत 2 वर्षों से अकार्यशील एवं बंद है, अथवा इनके द्वारा निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं, न ही नियमित अंकेक्षण कराया जा रहा है और विवरणी एवं आमसभा की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा रही है. ये संस्थाएं निम्नानुसार हैं:—

स.क्र.	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4
1.	पुलिस (सिविल) गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	185	03-06-1988
2.	मधुवन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	47	02-04-2081
3.	ग्लोबल साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	838	10-01-2014
4.	पी. बी. एम. कर्मचारी साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बोरगाँव	817	10-01-2014
5.	शासकीय शिक्षक सहकारी साख समिति मर्या., सौंसर	425	16-11-1993
6.	8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल कर्म. साख प्राथ. सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	819	10-01-2014
7.	धनलक्ष्मी साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	838	10-01-2014
8.	गायत्री श्रम ठेका प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जुन्नारदेव	827	10-01-2014
9.	आदर्श बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	830	10-01-2014
10.	ओम साईं स्टेशनरी प्राथमिक सह. समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	833	10-01-2014
11.	नवचेतना प्रजापति स्वउद्योग सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	146	24-08-1987

1	2	3	4
12.	माँ बंजारी महिला स्व. सहायता प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	836	10-01-2014
13.	प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चंदनगाँव	601	18-01-2000
14.	महाशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति पिंडरई (छिन्द)	658	01-03-2005
15.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रावनवाड़ा	820	10-01-2014
16.	कृषक बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कुहिया	818	10-01-2014
17.	पेंच बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिल्हेरा	829	10-01-2014
18.	आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	830	10-01-2014
19.	आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., परासिया	831	10-01-2014
20.	जय किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पाण्डुर्णा	839	10-01-2014
21.	छिन्दवाड़ा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सोनाखार	840	10-01-2014
22.	विपुल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हलाल कलॉ	853	10-01-2014
23.	जय अम्बे बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., नौलाझिर	857	10-01-2014
24.	एश्वर्या बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिवरापृथ्वीराम	887	10-01-2014
25.	कन्हान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सिंदरई गुरैयाथार	890	10-01-2014
26.	प्रतीक बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पगारा	899	10-01-2014
27.	देवरानीदाई बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कारीडोंगरी	966	10-01-2014
28.	माँ गायत्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रावनवाड़ा	967	10-01-2014
29.	ओम साईनाथ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बडोसा	977	10-01-2014
30.	साई बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जाम (सांवली)	981	10-01-2014
31.	श्रीराम निर्मल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पौनिया	1014	10-01-2014

अतः मैं, अनीता उइके, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत 2 वर्षों से अकार्यशील है. अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन दिनांक 02 मार्च, 2016 तक चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र का युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(290-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

इय कार्यालय के निर्वाचन एवं ऑडिट कक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि, निम्न सहकारी संस्थायें या तो विगत 2 वर्षों से अकार्यशील एवं बंद है, अथवा इनके द्वारा निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं, न ही नियमित अंकेक्षण कराया जा रहा है और विवरणी

एवं आमसभा की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की जा रही है। ये संस्थाएं निम्नानुसार हैं:—

वर्ग	क्रमांक	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5
मत्स्य सहकारी समितियाँ	1.	आदिवासी विकास मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिछुआसानी	1059	06-06-2015
	2.	मत्स्योद्योग प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टेमनी	824	10-01-201
	3.	गंगा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मुजावरमाल	675	10-03-2006
	4.	आदिवासी विकास मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., नवेगाँव	665	16-08-2005
	5.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पिंडरईसराफ	769	06-01-2012

अतः मैं, अनीता उडके, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उपरोक्तानुसार संस्था विगत 2 वर्षों से अकार्यशील है। अतः क्यों न संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन दिनांक 02 मार्च, 2016 तक चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र का युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें। यदि संस्था ने निर्धारित समयवधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अनीता उडके,
उप-रजिस्ट्रार.

(290-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/682, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा ईंधन क्रय-विक्रय अखाद्य तेल प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रीवा, पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 07 मार्च, 1993 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए ईंधन क्रय-विक्रय अखाद्य तेल प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रीवा का पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 07 मार्च, 1993 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(291)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/466/2012, दिनांक 20 मार्च, 2012 द्वारा दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भीटा (लक्ष्मणपुर), पंजीयन क्रमांक 1061, दिनांक 19 मई, 2011 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भीटा (लक्ष्मणपुर) का पंजीयन क्रमांक 1061, दिनांक 19 मई, 2011 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-A)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1889/Q, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा परिसमापनाधीन साख सहकारिता प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बड़ागाँव, पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 03 फरवरी, 2006 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए परिसमापनाधीन साख सहकारिता प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बड़ागाँव का पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 03 फरवरी, 2006 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-B)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1889, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा मनका मोती साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देवरी, पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 03 मई, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए मनका मोती साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देवरी का पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 03 मई, 2007 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-C)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1889, दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिनौता, पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए साख प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिनौता का पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-D)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/206/2015, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा पान उत्पादक सह. स. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खजुहा, पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् में, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए पान उत्पादक सह. स. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खजुहा का पंजीयन क्रमांक 1252, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(291-E)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

क्र./परि./2016/439.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/224/2015, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा जय भोले साग-सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बैसा, पंजीयन क्रमांक 1235, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् में, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए जय भोले साग-सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बैसा का पंजीयन क्रमांक 1235, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(291-F)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/233/2015, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा साग-सब्जी उत्पा. स. स. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भटलो, पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् में, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए साग-सब्जी उत्पा. प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भटलो का पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(291-G)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/219/2015, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा वैजनाथ साग-सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पूर्वा, पंजीयन क्रमांक 219, दिनांक 11 फरवरी, 2015 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए वैजनाथ साग-सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पूर्वा का पंजीयन क्रमांक 219, दिनांक 11 फरवरी, 2015 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-H)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2277/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा जय माँ दुर्गे बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हर्दी नं. 1, पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए जय माँ दुर्गे बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हर्दी नं. 1 का पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-I)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/229/2015, दिनांक 12 फरवरी, 2015 द्वारा माँ साग-सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गेरूई, पंजीयन क्रमांक 1263, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए माँ साग-सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गेरूई का पंजीयन क्रमांक 1263, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-J)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2307/2015, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा किसान बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गेहरी, पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए किसान बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गेहरी का पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-K)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2295/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 द्वारा आनंद बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिनौती, पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् में, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए आनंद बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिनौती का पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-L)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2129/2014, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., व्योहरा, पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् में, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., व्योहरा का पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(291-M)

रीवा, दिनांक 15 मार्च, 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2147/2014, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा शंकर बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भोरेगांव, पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

एतद् में, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए शंकर बीज प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भोरेगांव का पंजीयन क्रमांक 1172, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 निरस्त करता हूँ तथा संस्था का निगमित निकाय समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. पाण्डेय,
उप-पंजीयक.

(291-N)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

भानुशाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 18, दिनांक 09 फरवरी, 1962 आदेश क्रमांक 579, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था के निर्वाचन नही कराया जाना था.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./579, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत भानुशाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 18, दिनांक 09 फरवरी, 1962 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(292)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेंदरी, पंजीयन क्रमांक 1715, दिनांक 30 जून, 2008 आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था के निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./582, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेंदरी, पंजीयन क्रमांक 1715, दिनांक 30 जून, 2008 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(292-V)

उज्जैन, दिनांक 19 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/539.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3089, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा श्री देवनारायण क्रेडिट सहकारिता संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 146, दिनांक 01 अगस्त, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(292-A)

उज्जैन, दिनांक 19 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/540.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुन्दराबाद, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 768, दिनांक 15 सितम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(292-B)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/576.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	जयन्त प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	1325/26-09-1994
2.	भारतीय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नागदा	1023/27-12-1991
3.	विनोबा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	1288/27-08-1994
4.	गंगा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चातण्ड	1674/25-05-2005
5.	अकांशा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	1269/24-08-1994
6.	सावरिया फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक एवं विप. भण्डारण अनु. एवं प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., उन्हेल.	1460/05-08-1997
7.	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद	90/03-06-1983
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बलेड़ी	428/14-03-1977
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिठोरा	730/06-02-1986
10.	महाकाल बीज उत्पादक कृषि एवं आदान सहकारी संस्था मर्या., बंग्रेड	103/03-08-2008
11.	बलराम वन खेतीहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर	1665/23-03-2005
12.	इन्दिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	898/16-10-1990

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	जयन्त प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	1325/26-09-1994	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
2.	भारतीय प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नागदा	1023/27-12-1991	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
3.	विनोबा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	1288/27-08-1994	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
4.	गंगा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चातण्ड	1674/25-05-2005	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
5.	अकांशा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	1269/24-08-1994	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
6.	सावरिया फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक एवं विप. भण्डारण अनु. एवं प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., उन्हेल.	1460/05-08-1997	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
7.	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद	90/03-06-1983	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बलेड़ी	428/14-03-1977	श्री आर. एस. मेहर, स. नि.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिठोरा	730/06-02-1986	श्री आर. एस. मेहर, स. नि.
10.	महाकाल बीज उत्पादक कृषि एवं आदान सहकारी संस्था मर्या., बंग्रेड	103/03-08-2008	श्री आर. एस. मेहर, स. नि.
11.	बलराम वन खेतीहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर	1665/23-03-2005	श्री आर. एस. मेहर, स. नि.
12.	इन्दिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	898/16-10-1990	श्री आर. एस. मेहर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-C)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/576.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	महावीर सह. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नागदा	1530/19-09-2000

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	महावीर सह. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नागदा	1530/19-09-2000	श्री आर. एल. परमार, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-D)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/577.— इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	रत्ना प्रिंटिंग बाईडिंग व मेन्युफेक्चरिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1653/24-11-2004
2.	एम. पी. प्रिंटिंग बाईडिंग व मेन्युफेक्चरिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1638/19-02-2004

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	रत्ना प्रिंटिंग बाईडिंग व मेन्युफेक्चरिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1653/24-11-2004	श्री एन. के अड़ानिया, स.नि.
2.	एम. पी. प्रिंटिंग बाईडिंग व मेन्युफेक्चरिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1638/19-02-2004	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-F)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/578.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	श्री उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1694/24-11-2006
2.	प्रा. अवंतिका रेल्वे ठेका श्रमिक सह. सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1692/07-08-2006

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	श्री उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1694/24-11-2006	श्री जी. डी. पाल, उप. अंके.
2.	प्रा. अवंतिका रेल्वे ठेका श्रमिक सह. सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1692/07-08-2006	श्री जी. डी. पाल, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-G)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/579.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	भानुशाली गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., उज्जैन	18/09-02-1962

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	भानुशाली गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., उज्जैन	18/09-02-1962	श्री मुकेश जोशी, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-H)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/580.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	नूतन बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नरवर	98/10-07-2008
2.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बिसाहेड़ा	94/28-05-2008
3.	श्री नित्यानंद बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., उमरियाँ जागीर	96/16-06-2008
4.	दीपक बीज उत्पा. एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला सुलमान	64/18-07-2003

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	नूतन बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नरवर	98/10-07-2008	श्री एन. के. राय, व.स.नि.
2.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बिसाहेड़ा	94/28-05-2008	श्री मुकेश जोशी, स.नि.
3.	श्री नित्यानंद बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., उमरियाँ जागीर	96/16-06-2008	श्री एन. के. राय, व.स.नि.
4.	दीपक बीज उत्पा. एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला सुलमान	64/18-07-2003	श्री एन. के. राय, व.स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-I)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/581.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	जय भगवती सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1571/03-07-2001
2.	इंदिरा अवंतिका महिला विकास सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1486/30-06-1998
3.	महावीर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	101/31-07-2008
4.	श्री केशव सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1615/20-05-2003
5.	जय अम्बे सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1570/03-07-2001

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	जय भगवती सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1571/03-07-2001	श्री मुकेश गुप्ता, स.नि.
2.	महावीर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	101/31-07-2008	श्री आर. एल. नागर, स.नि.
3.	श्री केशव सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1615/20-05-2003	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.
4.	जय अम्बे सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1570/03-07-2001	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-J)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/582.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खण्डतासुरा	672/06-04-1984

1	2	3
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पानविहार	797/31-05-2008
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बोरखेड़ा	792/28-04-1988
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सेदरी	1715/30-06-2008
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., जैल्याखेड़ी	631/29-12-1985
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरा	633/18-12-1983
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बरोठिया	475/25-08-1980
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., आसेर	506/23-09-1980
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कालापिपल्या	527/15-05-1981
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चिकली	420/22-02-1977

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 24 फरवरी, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49(7-ख) के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खण्डतासुरा	672/06-04-1984	श्री आर. एस. मेहर, स.नि.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पानविहार	797/31-05-2008	श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि.
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बोरखेड़ा	792/28-04-1998	श्री आर. एल. परमार, स.नि.
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सेदरी	1715/30-06-2008	श्री आर. एल. परमार, स.नि.
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., जैल्याखेड़ी	631/29-12-1985	श्री मुकेश जोशी, स.नि.
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरा	633/18-12-1983	श्री संतोष साकल्या, स.नि.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बरोठिया	475/25-08-1980	श्री संतोष साकल्या, स.नि.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., आसेर	506/23-09-1980	श्री संतोष साकल्या, स.नि.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कालापिपल्या	420/22-02-1977	श्री संतोष साकल्या, स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(292-K)

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/737.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद	1912/04-12-2014
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेड़ी	1914/04-12-2014
3.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मुंजाखेड़ी	1915/04-12-2014
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लोधा	1918/04-12-2014
5.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नारायणखेड़ी	1921/04-12-2014
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सूरजखेड़ी	1923/04-12-2014
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., आलोट जागीर	1924/04-12-2014
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रामाबालोदा	1925/04-12-2014
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रलायत भौजा	1928/04-12-2014
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नारेलाकला	1929/04-12-2014
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., उहेसरा	1932/04-12-2014
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पात्याखेड़ी	1933/04-12-2014
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खेमासा	1934/12-12-2014
14.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., असलाना	1937/12-12-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और न ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद	1912/04-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेड़ी	1914/04-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि.
3.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मुंजाखेड़ी	1915/04-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि.
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लोधा	1918/04-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि.
5.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नारायणखेड़ी	1921/04-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि.
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सूरजखेड़ी	1923/04-12-2014	श्री सुरेन्द्र मालवीय, स.नि.

1	2	3	4
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., आलोट जागीर	1924/04-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रामाबालोदा	1925/04-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भौजा	1928/04-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नारेलाकला	1929/04-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., उटेसरा	1932/04-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पात्याखेड़ी	1933/04-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खेमासा	1934/10-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.
14.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., असलाना	1937/12-12-2014	श्री समीर हरदास उप.अंके.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-L)

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/738.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रामातलाई	1792/28-09-2012
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., केशरिया	1801/06-11-2012
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नरेड़ी	1802/09-11-2012
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पचलासी	1804/13-12-2012
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावदा	1805/20-12-2012
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., छापरी	1806/20-12-2012
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भुवांसा	1807/20-12-2012
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चौकी	1808/20-12-2012
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नावटिया	1813/18-02-2013
10.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., श्रीबच्छ	1817/20-03-2013
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मलोड़ा	1824/28-03-2013
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना	1826/28-03-2013
13.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा सागोती माता	1850/19-03-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रामातलाई	1792/28-09-2012	श्री पुरषोत्तम सोनी, उप. अंके.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., केशरिया	1801/06-11-2012	श्री पुरषोत्तम सोनी, उप. अंके.
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नरेडी	1802/09-11-2012	श्री पुरषोत्तम सोनी, उप. अंके.
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पचलासी	1804/13-12-2012	श्री पुरषोत्तम सोनी, उप. अंके.
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावदा	1805/20-12-2014	श्री पुरषोत्तम सोनी, उप. अंके.
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., छापरी	1806/20-12-2012	श्री पुरषोत्तम सोनी, उप. अंके.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भुवांसा	1807/20-12-2012	श्री पुरषोत्तम सोनी, उप. अंके.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चौकी	1808/20-12-2012	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नावटिया	1813/18-02-2013	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.
10.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., श्रीबच्छ	1817/20-03-2013	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मलोड़ा	1824/28-03-2013	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना	1826/28-03-2013	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.
13.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिपलोदा सागोती माता	1850/19-03-2014	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-M)

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/739.— इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अन्तरालिया	1938/12-12-2014
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., झिरमिरा	1939/12-12-2014
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., झालरियाँ	1991/01-01-2015
4.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बागोदा	1992/01-01-2015
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सिपावरा	1994/01-01-2015
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नरेडीपाता	1995/01-01-2015
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बासखेड़ी	1997/01-01-2015
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गुनईखालसा	1998/01-01-2015

1	2	3
9.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बिरियाखेड़ी	2021/12-01-2015
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., परमारखेड़ी	2026/22-01-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है। परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अन्तरालिया	1938/12-12-2014	श्री बी. एस. पटेल, उप. अंके.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., झिरमिरा	1939/12-12-2014	श्री बी. एस. पटेल, उप. अंके.
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., झालरियाँ	1991/01-01-2015	श्री बी. एस. पटेल, उप. अंके.
4.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बागोदा	1992/01-01-2015	श्री बी. एस. पटेल, उप. अंके.
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सिपावरा	1994/01-01-2015	श्री बी. एस. पटेल, उप. अंके.
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नरेड़ीपाता	1995/01-01-2015	श्री बी. एस. पटेल, उप. अंके.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बासखेड़ी	1997/01-01-2015	श्री जी. डी. पाल, उप. अंके.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गुनईखालसा	1998/01-01-2015	श्री जी. डी. पाल, उप. अंके.
9.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बिरियाखेड़ी	2021/12-01-2015	श्री जी. डी. पाल, उप. अंके.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., परमारखेड़ी	2026/22-01-2015	श्री जी. डी. पाल, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(292-N)

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/740.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	शिव गणेश बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., आक्याजागीर	2037/22-01-2015

1	2	3
2.	जय गुरुदेव बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सामगी	2038/22-01-2015
3.	माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बोरदामाण्डा	2042/02-08-2015
4.	कृष्णा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., ढावलारहवारी	2046/02-02-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है। परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	शिव गणेश बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., आक्याजागीर	2037/22-01-2015	श्री एस. एन. मेहता, स. नि.
2.	जय गुरुदेव बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सामगी	2038/22-01-2015	श्री संतोष साकल्या, स. नि.
3.	माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बोरदामाण्डा	2042/02-08-2015	श्री संतोष साकल्या, स. नि.
4.	कृष्णा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., ढावलारहवारी	2046/02-02-2015	श्री आर. एल. नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(292-O)

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/741.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बिलवानिया	1851/19-03-2014
2.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बालोदालक्खा	1853/19-03-2014
3.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बटलावदी	1854/19-03-2014
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा	1867/13-10-2014
5.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नारेली	1879/21-10-2014
6.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., टीपूखेड़ा	1893/21-10-2014

1	2	3
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चिरोलाकला	1897/31-10-2014
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., करड़वास	1898/31-10-2014
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सिकन्दरी	1899/13-11-2014
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रत्नाखेड़ी	1902/13-11-2014
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चिन्तामण जवासिया	1903/13-11-2014
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बामनापाती	1907/14-11-2014
13.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अमलाफोर्ट	1909/04-12-2014
14.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बोरदाबाण्डा	1911/04-12-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बिलवानिया	1851/19-03-2014	श्री आशिष शर्मा, उप. अंके.
2.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बालोदालकखा	1853/19-03-2014	श्री आशिष शर्मा, उप. अंके.
3.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बटलावदी	1854/19-03-2014	श्री आशिष शर्मा, उप. अंके.
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा	1867/13-10-2014	श्री आशिष शर्मा, उप. अंके.
5.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नारैली	1879/21-10-2014	श्री आशिष शर्मा, उप. अंके.
6.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., टीपूखेड़ा	1893/21-10-2014	श्री आशिष शर्मा, उप. अंके.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चिरोलाकला	1897/31-10-2014	श्री आशिष शर्मा, उप. अंके.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., करड़वास	1898/31-10-2014	श्री आई. डी. सराफ, उप. अंके.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सिकन्दरी	1899/13-11-2014	श्री आई. डी. सराफ, उप. अंके.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रत्नाखेड़ी	1902/13-11-2014	श्री आई. डी. सराफ, उप. अंके.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चिन्तामण जवासिया	1903/13-11-2014	श्री आई. डी. सराफ, उप. अंके.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बामनापाती	1907/14-11-2014	श्री आई. डी. सराफ, उप. अंके.
13.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अमलाफोर्ट	1909/04-12-2014	श्री आई. डी. सराफ, उप. अंके.
14.	महिला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बोरदाबाण्डा	1911/04-12-2014	श्री आई. डी. सराफ, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/742.— इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	माँ पार्वती बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा बुजुर्ग	1896/28-10-2014
2.	बोरेश्वर बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., दंगवाड़ा	1944/15-12-2014
3.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., पंचेड	1947/17-12-2014
4.	शीतलामाता बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., तुलाहेड़ा	1950/19-12-2014
5.	महाकाल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बिछड़ोद सालसा	1954/22-12-2014
6.	जय माँ भवानी बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., खंडोदा	1958/27-12-2014
7.	सांवरिया बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नवादा	1962/27-12-2014
8.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., पासलोद	1963/27-12-2014
9.	जय महाकाल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., लोकोड़ा आंजना	1964/27-12-2014
10.	पटेल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी	1965/27-12-2014
11.	श्रीराम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., आक्याधागा	1966/27-12-2014
12.	सांवरिया बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	1969/27-12-2014
13.	माँ अम्बिका बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बटलावदी	1970/27-12-2014
14.	भारदा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., कुम्हारखडी	1971/27-12-2014

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	माँ पार्वती बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा बुजुर्ग	1896/28-10-2014	श्री राजेन्द्र वर्मा, स. नि.
2.	बोरेश्वर बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., दंगवाड़ा	1944/15-12-2014	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
3.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., पंचेड	1947/17-12-2014	श्री मुकेश गुप्ता, स. नि.
4.	शीतलामाता बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., तुलाहेड़ा	1950/19-12-2014	श्री मुकेश गुप्ता, स. नि.

1	2	3	4
5.	महाकाल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बिछड़ोद सालसा	1954/22-12-2014	श्री मुकेश गुप्ता, स. नि.
6.	जय माँ भवानी बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., खंडोदा	1958/27-12-2014	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
7.	सांवरिया बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नवादा	1962/27-12-2014	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
8.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., पासलोद	1963/27-12-2014	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
9.	जय महाकाल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., लोकोड़ा आंजना	1964/27-12-2014	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
10.	पटेल बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी	1965/27-12-2014	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
11.	श्रीराम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., आक्याधागा	1966/27-12-2014	श्री राजेन्द्र वर्मा, स. नि.
12.	सांवरिया बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नरसिंहगढ़	1969/27-12-2014	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
13.	माँ अम्बिका बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., बटलावदी	1970/27-12-2014	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
14.	भारदा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., कुम्हारखाडी	1971/27-12-2014	श्री आर. एल. परमार, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-R)

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/743.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	माँ पार्वती प्रा. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., उज्जैन	1777/06-07-2012
2.	बाल्मिकि प्रा. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., उज्जैन	1794/10-10-2012
3.	गीता प्रिंटिंग प्रेस सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1797/19-10-2012
4.	रूखमणी साख सह. संस्था मर्या., खाचरौद	1812/04-02-2013
5.	श्री शांखेश्वर साख सह. संस्था मर्या., खाचरौद	1857/28-05-2014
6.	श्री योगमाया साख सह. संस्था मर्या., बड़नगर	1860/09-07-2014
7.	संकल्प शासकीय गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1864/08-09-2014
8.	भारत गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., उज्जैन	36/29-10-1963
9.	श्री गणेश कृषि उपज विप. भण्डारण प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1548/29-03-2001

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत

संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	माँ पार्वती प्रा. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., उज्जैन	1777/06-07-2012	श्री आर. एल. नागर, स. नि.
2.	बाल्मिकि प्रा. उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., उज्जैन	1794/10-10-2012	श्री आर. एल. नागर, स. नि.
3.	गीता प्रिंटिंग प्रेस सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1797/19-10-2012	श्री आर. एल. नागर, स. नि.
4.	रूखमणी साख सह. संस्था मर्या., खाचरौद	1812/04-02-2013	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
5.	श्री शांखेश्वर साख सह. संस्था मर्या., खाचरौद	1857/28-05-2014	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
6.	श्री योगमाया साख सह. संस्था मर्या., बड़नगर	1860/09-07-2014	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
7.	संकल्प शासकीय गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1864/08-09-2014	श्री एन. के. राय, व. स. नि.
8.	भारत गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., उज्जैन	36/29-10-1963	श्री मुकेश जोशी, सह. निरी.
9.	श्री गणेश कृषि उपज विप. भण्डारण प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1548/29-03-2001	श्री व्ही. के. जोशी, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(292-S)

उज्जैन, दिनांक 08 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/744.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	ओम साईराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., इटावा	1977/30-12-2014
2.	अंकुर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रणवा	1981/01-01-2015
3.	माँ शाकम्बरी बीज उत्पा. सह. संस्था पिपलोदा सागोतीमाता	1982/01-01-2015
4.	महावीर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रूनखेड़ा	1984/01-01-2015
5.	जय भवानी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बनबना	1985/01-01-2015
6.	सोना बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., पिपलियाडाबी	2002/01-01-2015
7.	नव दुर्गा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., गोलाखेड़ी	2003/01-01-2015
8.	श्रीराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., टुटियाखेड़ी	2005/12-01-2015
9.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., लसुडिया जैसिंग	2006/12-01-2015
10.	माँ ज्वालेश्वरी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., चंबल पाडलिया	2007/12-01-2015
11.	माँ क्षिप्रा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., किठोदाराव	2009/12-01-2015
12.	बडेश्वरी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बोलखेडानाऊ	2011/12-01-2015
13.	अटल बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., खेडावदा	2028/22-01-2015
14.	देवनारायण बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बरखेड़ाजावरा	2036/22-01-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है। परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	ओम साईराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., इटावा	1977/30-12-2014	श्री एस. एल. चौहान, स.नि.
2.	अंकुर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रणवा	1981/01-01-2015	श्री एस. एल. चौहान, स.नि.
3.	माँ शाकम्बरी बीज उत्पा. सह. संस्था पिपलोदा सागोतीमाता	1982/01-01-2015	श्री एस. एन. मेहता, स.नि.
4.	महावीर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रूनखेड़ा	1984/01-01-2015	श्री एस. एन. मेहता, स.नि.
5.	जय भवानी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बनबना	1985/01-01-2015	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
6.	सोना बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., पिपलियाडाबी	2002/01-01-2015	श्री एस. एन. मेहता, स.नि.
7.	नव दुर्गा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., गोलाखेड़ी	2003/01-01-2015	श्री राजेन्द्र वर्मा, स.नि.
8.	श्रीराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., टुटियाखेड़ी	2005/12-01-2015	श्री एस. एन. मेहता, स.नि.
9.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., लसुडिया जैसिंग	2006/12-01-2015	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
10.	माँ ज्वालेश्वरी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., चंबल पाडलिया	2007/12-01-2015	श्री एस. एन. मेहता, स.नि.
11.	माँ क्षिप्रा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., किठोदाराव	2009/12-01-2015	श्री आर. एल. नागर, स.नि.
12.	बडेश्वरी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बोलखेडानाऊ	2011/12-01-2015	श्री राजेन्द्र वर्मा, स.नि.
13.	अटल बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., खेडावदा	2028/22-01-2015	श्री एस. एल. चौहान, स.नि.
14.	देवनारायण बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बरखेड़ाजावरा	2036/22-01-2015	श्री एस. एल. चौहान, स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(292-T)

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/862.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3
1.	श्री बलराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., भाटखेड़ी	2048/02-02-2015
2.	श्री बलराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., जगोटी	2050/10-02-2015

1	2	3
3.	जागृति बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., माकड़ोन	2051/10-02-2015
4.	गगन बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कपेली	2053/20-02-2015
5.	अम्बिका बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., मौलाना	2054/20-02-2015
6.	माँ पार्वती बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., लुसड़ावन	2055/20-02-2015
7.	मनकामनेश्वर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., नादेड़	2061/16-03-2015
8.	ऊँ गुरुकृपा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., उज्जैनिया	2066/27-03-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 मार्च, 2016 तक संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को पंजीयन दिनांक से 03 माह के अन्दर संस्थाओं का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन नहीं करवाया गया है और ना ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि का पालन नहीं किया जा रहा है एवं संस्था द्वारा सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	श्री बलराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., भाटखेड़ी	2048/02-02-2015	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
2.	श्री बलराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., जगोटी	2050/10-02-2015	श्री राजेन्द्र वर्मा, स. नि.
3.	जागृति बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., माकड़ोन	2051/10-02-2015	श्री संतोष साकल्या, स. नि.
4.	गगन बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कपेली	2053/20-02-2015	श्री संतोष साकल्या, स. नि.
5.	अम्बिका बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., मौलाना	2054/20-02-2015	श्री एस. एल. चौहान, स. नि.
6.	माँ पार्वती बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., लुसड़ावन	2055/20-02-2015	श्री आर. एल. परमार, स. नि.
7.	मनकामनेश्वर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., नादेड़	2061/16-03-2015	श्री संतोष साकल्या, स. नि.
8.	ऊँ गुरुकृपा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., उज्जैनिया	2066/27-03-2015	श्री मुकेश गुप्ता, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(292-U)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016-वैशाख 2, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, जबलपुर, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, आगर, धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति.**—
5. **कटाई.**—जिला सिवनी में फसल, तुअर व सीधी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठें, तुअर, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शादौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..		(2) ..		
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		अलसी, मसूर, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		प्याज.		
4. पवई	..		(2) ..		
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		(2) ..		
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर अधिक. तुअर, गेहूं, अलसी, सरसों समान. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूं कम. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्लियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, चना, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द, राई-सरसों, गेहूं, मसूर, मटर कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, को. कु., मूँगफली, तुअर, बाजरा, अधिक. धान, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूं, मसूर कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) राई-सरसों, गेहूँ कम. चना, अलसी, मसूर, जौ समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई-सरसों, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) चना अधिक. अलसी, गेहूँ कम. मसूर, राई-सरसों समान. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, ..	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दासौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुन्धडका 9. संजीत 10. कयामपुर				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
*जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. अलीराजपुर	..		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. चं. शेखर आ. न.	..				
6. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		गन्ना, कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..		(2) ..		
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		राई-सरसों, अलसी, अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. उरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर, मसूर, अधिक. गेहूँ, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त. §
2. खिड़किया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, मूंग, चना, मटर, मसूर, अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गंहुँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर राम-तिल, राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांढुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. चांद 12. बोलखेड़ा				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— *जिला अलीराजपुर, खण्डवा, राजगढ़, रायसेन, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.